लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वैशाख, 1887 (शक) तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

Preservation
27-5-97
Fumigated
On 26-12-98
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

697 (Ai) LS -1

विषय-सूची

अंक 42--बुधवार, 21 अप्रैल, 1965/1 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
946	आसाम के पहाड़ी जिले	3945--47
947	गोआ, दमन तथा दीव का विकास	3947--50
948	नई दिल्ली में कारों की चोरी	3950--53
949	स्कूल के अध्यापकों के वेतनक्रम	3953--58
950	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक समिति	3958--61
951	कोयाली रिफाइनरी . . .	3961-62
952	अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ .	3962-63
953	स्कूल के अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि	3963-64

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
955	जिला प्रशासन . . .	3964
956	राजस्थान के स्कूलों में पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकें .	3965
957	भारत-सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम	3965--66
958	राजभाषा का प्रयोग .	3966
959	जाली पाठ्य पुस्तकें	3966
860	शरणार्थियों की जांच पड़ताल	3967
961	नये इंजीनियरिंग कालिज	3967
962	मुख्य न्यायाधिपतियों की बैठक .	3967-68
963	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम .	3968
964	माना शिविर को छोड़ना	3968-69
965	पंजाब सीमा पुलिस . .	3969
966	कार्यालय आदेश हिन्दी में जारी करना .	3969-70
967	पुरातत्वीय खोज सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति . .	3970

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 42—*Wednesday, April* 21, 1965/*Vaisakha* 1, 1887 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
946.	Hill Districts of Assam . . .	3945—47
947.	Development of Goa, Daman and Diu	3947—50
948.	Car Thefts in New Delhi .	3950—53
949.	Pay Scales of School Teachers	3953—58
950.	National Text Books Committee	3959—61
951.	Koyali Refinery . . .	3961—62
952.	All India Secondary Teachers' Federation .	3962—63
953.	Contributory Provident Fund for School Teachers	3963—64

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
955.	District Administration . . .	3964
956.	Pakistani Text Books in Rajasthan Schools	3965
957.	Indo-Soviet Cultural Exchange Programme	3965—66
958.	Use of Official Language .	3966
959.	Spurious Text Books . .	3966
960.	Screening of Refugees . .	3967
961.	New Engineering Colleges . .	3967
962.	Meeting of Chief Justices	3967—68
963.	Pay-Scales of University Teachers .	3968
964.	Desertion from Mana Camp .	3968—69
965.	Punjab Border Police . .	3969
966.	Issue of Office Orders in Hindi .	3969—70
967.	Reviewing Committee on Archaeology	3970

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2434	उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	3970
2435	उड़ीसा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	3970—71
2436	बैजनाथ, पंजाब में स्मारक	3971
2437	उत्तर प्रदेश में बहुप्रयोजनीय स्कूल	3971
2438	उत्तर प्रदेश में कालिजों को अनुदान	3972
2439	केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था	3972
2440	हारमोन्स की गवेषणा	3972—73
2441	दिल्ली के अध्यापक	3973
2442	खाद्यान्न सम्बन्धी कानून का उल्लंघन	3973
2443	पश्चिमी बंगाल तथा केरल के अध्यापक	3973
2444	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	3974
2445	प्रव्रजन सम्बन्धी आंकड़े	3974—75
2446	उड़िया साहित्य तथा संस्कृति	3975
2447	उड़िया नाटकों को सहायता	3975—76
2448	उड़ीसा में खेल कूद	3976
2449	उड़ीसा में अध्यापकों के वेतन-क्रम	3976
2450	ताजमहल	3976—77
2451	भारतीय भाषाओं के लिये भाषा संस्था	3977
2452	सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	3977—78
2453	त्रिपुरा में हिन्दी विरोधी आन्दोलन	3978—79
2454	आदिम जातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें	3979
2455	हिन्दी अध्यापक	3979—80
2456	नव नालन्दा महा विहार	3980
2457	मद्रास में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	3980
2458	बलीराज गढ़ में पुरातात्विक खुदाई	3980—81
2459	मद्रास में समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही	3981
2460	ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल मिलने की संभावनायें	3981
2461	दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना	3982
2462	पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	3982
2463	मैसूर में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता	3982—83
2464	मैसूर में जूनियर तकनीकी विद्यालय	3983
2465	मैसूर के विद्यार्थियों को ऋण छात्रवृत्ति	3983
2466	उर्वरक कारखाना, कोचीन	3983—84
2467	डिगबोई तेल क्षेत्र	3984
2468	जम्मू तथा काश्मीर में बम-विस्फोट	3984
2469	मैसूर में शरणार्थियों का पुनर्वास	3985
2470	उर्वरक उद्योग	3985

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2434.	Adult Education Centres in Orissa	3970
2435.	Archaeological Excavation in Orissa	3970—71
2436.	Monument at Baijnath, Punjab .	3971
2437.	Multi-purpose Schools in U.P. .	3971
2438.	Grants to U.P. Colleges .	3972
2439.	Central Road Research Institute .	3972
2440.	Research of Hormones .	3972—73
2441.	Delhi Teachers . . .	3973
2442.	Violation of Foodgrains Laws .	3973
2443.	Teachers of West Bengal and Kerala	3973
2444.	Trombay Fertiliser Plant . .	3974
2445.	Migration Figures . .	3974—75
2446.	Oriya Literature and Culture .	3975
2447.	Aid for Oriya Dramas . .	3975—76
2448.	Sports in Orissa . . .	3976
2449.	Pay-scales of Teachers of Orissa .	3976
2450.	Taj Mahal	3976—77
2451.	Language Institutes for Indian Languages	3977
2452.	Scholarships in Sainik Schools . .	3977—78
2453.	Anti-Hindi Agitation in Tripura .	3978—79
2454.	Text-Books in Tribal Languages .	3979
2455.	Hindi Teachers . . .	3979—80
2456.	Nava Nalanda Mahavihara .	3980
2457.	Arrests in Madras under D.I.R. . .	3980
2458.	Archaeological Excavation at Balirajgarh	3980-81
2459.	Action against Newspapers in Madras .	3981
2460.	Oil Prospects in Jawalamukhi Area	3981
2461.	Allotment of Plots in Delhi	3982
2462.	Police Firings	3982
2463.	Assistance to Political Sufferers in Mysore	3982—83
2464.	Junior Technical Schools in Mysore	3983
2465.	Loan Scholarships to Mysore Students .	3983
2466.	Fertilizer Plant Cochin .	3983—84
2467.	Digboi Oil Fields .	3984
2468.	Bomb Explosion in J. & K. . .	3984
2469.	Rehabilitation of refugees in Mysore .	3985
2470.	Fertilizer Industry . .	3985

विषय	पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) युद्ध-विराम रेखा की दूसरी ओर से पंजाब के मुख्य मंत्री तथा उनके साथियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना	
श्री प्र० के० देव .	3895
श्री अ० म० थामस .	3986-92
(दो) कम्बोडिया और लाओस पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन .	
श्री हरिविष्णु कामत	4029
श्री स्वर्ण सिंह .	4029-30
सदस्य का निलम्बन . . .	3992-94
(श्री हेम बरुआ)	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . .	3994-4000
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	4000-01
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
चौसठवां प्रतिवेदन .	4001
प्राक्कलन समिति . . .	4001
सतहत्तरवां प्रतिवेदन	4001
सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में .	4001
अनुदानों की मांगें . . .	4001
उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय . .	4001
श्री अचल सिंह	4002-03
श्री प्र० कु० घोष .	4003-04
श्रीमती जयाबेन शाह	4004
श्री रघुरामैया .	4004-05
श्री श्रीकान्तन नायर . . .	4006
श्री हिम्मतसिंह . . .	4006
श्री राम सहाय पाण्डेय .	4007-09
श्री अल्वारेस	4009-10
श्री कोया . .	4010-11
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	4011-13
श्री मि० ना० सिंह	4013
शिक्षा मंत्रालय	
श्रीमती गायत्री देवी	4015-21
श्री स० मो० बनर्जी .	4021-29
पहली मई, १९६५ को सभा की बैठक के बारे में	4031

Subject	PAGES
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importances—	
(i) Firing by Pakistani troops on the Chief Minister of Punjab and Party from across the ceasefire line—	
Shri P. K. Deo .	3985
Shri A. M. Thomas	3986—92
(ii) International Conferences on Cambodia and Laos—	
Shri H. V. Kamath	4029
Shri Swaran Singh . . .	4029—30
Suspension of Member (Shri Hem Barua) .	3992—94
Re : Question of Privilege . .	3994—4000
Papers laid on the Table . . .	4000—01
Committee on Private Members' Bills and Resolutions .	4001
Sixty-fourth Report	4001
Estimates Committee	4001
Seventy-seventh Report	4001
Re : Vigilance Commission Report .	4001
Demands for Grants	4001
Ministry of Industry and Supply . . .	4001
Shri Achal Singh	4002—03
Shri P. K. Ghosh	4003—04
Shrimati Jayaben Shah . . .	4004
Shri Raghuramaiah . . .	4004—05
Shri N. Sreekantan Nair . . .	4006
Shri Himatsingka . . .	4006
Shri R. S. Pandey . . .	4007—09
Shri Alvares . . .	4009—10
Shri Koya	4010—11
Shrimati Lakshmikanthamma . .	4011—13
Shri T. N. Singh .	4013
Ministry of Education—	
Shrimati Gayatri Devi . . .	4018—21
Shri S. M. Banerjee . . .	4021—29
Re : Sitting of the House on 1st May, 1965. . .	4031

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 21 अप्रैल, 1965/1 वैशाख, 1887 (शक)

Wednesday, April 21, 1965/Vaisakha 1, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hill Districts of Assam

*946. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri D. C. Sharma:
Shri Surendra Pal Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri D. N. Tiwary:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri P. C. Borooah:
Shri Mohan Swarup:
Shri R. S. Pandey:
Shri Hem Raj:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri L. N. Bhanja Deo:
Shri R. Barua:
Shri P. H. Bheel:
Shri Kanakasabai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a Delegation of Leaders of Assam Hill Districts recently met the Prime Minister in connection with the grant of autonomy to certain Hill Districts;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the stage at which the setting up of the proposed Commission to study the autonomy issue to these Hill Districts stands?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). Yes, Sir; a deputation of the All-Party Hill Leaders' Conference from Assam called on the Prime Minister in the second week of December, 1964 and urged the immediate appointment of a Commision to work out the details of the scheme for grant of the largest possible autonomy to hill districts subject to their functioning within the framework of the State of Assam. The Commission has since been appointed and has started functioning. A copy of the Resolution constituting the Commission is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See LT No. 4226/65*]

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the difficulties put forth before the Government by this delegation of leaders of Assam Hill Districts, which urged upon them to take this decision?

Shri Hathi: The difficulties were the same which were put forth before the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, that is, their economic development should be made and they should be given larger opportunities for participation in a greater measure for their economic development.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether this aspect has been taken into consideration that such a decision may not encourage the secessionist elements there?

Shri Hathi: This aspect was also before us. They first demanded a separate State but the late Prime Minister made it clear to them that it was in their interest to remain with Assam and, therefore, we should evolve some solution which might enable them to maintain the unity of Assam, the Cabinet form of Government, to develop their lot and make them feel that they are participating in the development.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know the terms of reference of the Commission appointed for the purpose and the time by which they are likely to submit their report?

Mr. Speaker: This information has been given in the statement.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the area about which the delegation had made negotiations and how the present administration is being run there?

Shri Hathi: Four districts.

Shri Yashpal Singh: May I know whether the Government have considered this aspect that from the security point of view, instead of giving autonomy to these districts the people of that area should be militarised?

Shri Hathi: It has been made clear in the statement that autonomy does not imply the autonomy in the form of the State.

Shri Bade: May I know whether it is a fact that the demand for autonomy of Hill Districts is being prompted by Christian Missionaries in the same way as the demand of Nagaland is being prompted by foreign missionaries?

Shri Hathi: So far as activities behind the scene are concerned it is a different thing. As regards our talks, we have to take up this matter with the representatives of the Hill Districts.

Shri Sidheshwar Prasad: It has been stated in the statement that they had come to certain conclusions as a result of the talks held between the late Prime Minister Shri Nehru and the Hill Leaders but the statement is silent on those conclusions. May I know whether Government propose to arrive at a decision on the basis of those conclusions or they would like to pursue the matter further?

Shri Hathi: It will be for the Commission to go into the talks held between them and the conclusions arrived at. It was decided during the talks that certain powers and subjects might be conferred on the autonomous districts in consonance with the Scottish pattern and on the basis of which legislators of that area were required to work and they should also have a financial adviser so that they might function independently within their Cabinet.

Shri Vishwanath Pandey: May I know whether the delegation of Hill Districts which met the late Prime Minister Shri Nehru had urged upon him to form a separate Hill State for their economic development?

Shri Hathi: I have already stated that in the first place they demanded the formation of a separate Hill State but late Panditji explained to them that it was in their interest and conducive for their development to remain with Assam. The Commission will look into the matter and devise means and ways for their betterment.

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि आयोग इस बात की जांच करेगा कि असम के साथ रह कर वे किस तरह अधिक से अधिक उन्नति कर सकते हैं। किन्तु विवरण से पता चलता है कि योजना को क्रियान्वित करने के लिये आयोग प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी उपायों के बारे में जांच करेग। क्या उन क्षेत्रों का विकास समूची प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी व्यवस्था का पूर्ण रूप से पुनर्गठन करके ही होगा।

श्री हाथी : वित्तीय शक्तियां तथा आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। बिना धन की व्यवस्था के कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं हो सकती है। अतः वित्तीय व्यवस्था के लिये कुछ शक्तियां देना आवश्यक है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the population of those four districts for the development of which demand has been made, whether these are border districts and whether Government have ever tried to find out the causes of discontentment among the people of Assam against the State Government.

Shri Hathi : I have no figures with me about the population. They put forth this demand because they think that the area is not being developed as it ought to have been done.

Development of Goa, Daman and Diu

947. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made during the financial year 1964-65 in industrial, economic and other spheres in Goa, Daman and Diu;

(b) whether any improvement has been effected in the standard of living of the people of these areas in comparison to the pre-liberation period as a result of these programmes; if so, what; and

(c) the new schemes approved or are under consideration for the all-round development of these areas and their estimated expenditure?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1964–65 के वित्तीय वर्ष में गोम्रा, दमन ग्रौर दीव के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये 893.58 लाख रुपये खर्च करने का विचार था जिससे ग्रार्थिक, ग्रौद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति होगी।

(ख) अनुमान है कि स्वतंत्रता से पूर्व गोग्रा, दमन ग्रोर दीव की प्रति व्यक्ति ग्राय का ग्रौसत मोटे तौर पर लगभग 376 रुपये था। इसके विपरीत ग्रब प्रति व्यक्ति ग्राय का ग्रौसत अनुमान मोटे तौर पर 400 रुपये है।

(ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4227/65]**

श्री स० चं० सामन्त : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को लौह ग्रयस्क की खानों के विकास के लिये कोई सहायता दी जाती है ग्रौर क्या सरकार का विचार भविष्य में खानों का यंत्रीकरण करने का है?

श्री हाथी : खानों का यंत्रीकरण किया जा रहा है तथा प्रायः सभी क्षेत्रों को सहायता दी जा रही है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मरमागोग्रा के विकास के लिये भी सहायता दी गई है?

श्री हाथी: पत्तनों के विकास का कार्य परिवहन मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है।

श्री शिंकरे. क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि प्रति व्यक्ति ग्राय के ग्रांकड़े गलत हैं क्योंकि वास्तविकता यह है कि गोग्रा की मुक्ति के बाद वहां निर्वाह व्यय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्वाह व्यय को कम करक मुक्ति से पहले के स्तर पर लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री हाथी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मुक्ति से पहले वहां पर खेती, सड़कों, संचार, पुलों, मत्स्य ग्रादि के विकास की ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लोगों का मुख्य व्यवसाय निर्यात करना था। ग्रब हमने वहां विकास योजनायें चालू की हैं। इससे ग्रधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ग्रौर उनकी ग्राय बढ़ेगी।

श्री शिंकरे : कितने वर्ष बाद ?

श्री हाथी : गत वर्षों में ग्राय में वृद्धि हुई है ग्रौर यह होती रहेगी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have considered this aspect that the merger of Goa with Maharashtra is absolutely necessary for all-round development of Goa?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise out of the main question.

Shri R. S. Tiwary : May I know the steps Government propose to take with regard to the development of the undeveloped area of Goa?

Shri Hathi : The statement laid on the table of the House also shows the schemes of undeveloped area.

Shri R. S. Tiwary : Mineral resources—

Mr. Speaker : Everything has been given in the statement.

Shri Shinkre : It does not contain anything.

Shri Ram Sewak Yadav : The taxes levied on people in Goa now are more than what they had to pay under Portuguese rule and their standard of living has gone down. If so, what measures are being taken to give relief to them ?

Mr. Speaker : He says that the standard of living has gone up and you say that it has gone down. You have to accept whatever information he gives.

Shri Raghunath Singh : The Minister says that development of ports is the business of Transport Ministry. I may remind the Minister that minor ports and roadways are State subjects. How can the Government of Goa do all these when there is no financial provision for roads, minor ports, light houses etc.

Shri Hathi : The Transport Ministry is looking after it.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्रशासनिक ढांचा पुर्तगालियों के समय का है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है कि इस सरकार की बनाई योजनायों को कार्यान्वित कर सके ?

श्री हाथी : वहां के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का कार्य हाथ में ले लिया है और बिभिन्न विभागों से अधिकारी भेजे जा रहे हैं ताकि वे उसका पुनर्गठन कर सकें जैसे सड़कें बनाने और बाद में पुल बनाने के लिये सी० पी० डबल्यु० डी० से। प्रशासन न्यायपालिका के लिये।

श्री कपूर सिंह : गृह-कार्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 900 मेट्रिक टन उर्वरक, 100 मेट्रिक टन धान का बीज तथा 36000 रुपये के सब्जियों के बीज बांटे हैं। क्या यह मुफ्त बांटे जायेंगे अथवा कम किये हुये मूल्यों पर अथवा बाजार के मूल्यों पर ?

श्री हाथी : मेरे पास यह सूचना नहीं है। मैं पता करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : The resolution to merge Goa with Maharashtra was passed by Goa Legislative Assembly with the belief that Goa's development works will get a boost with Goa's merger in Maharashtra. I want to know whether it is not correct and what is Government's reaction to it?

Mr. Speaker : I have already said that I cannot permit this question.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार को पता है कि केवल रुपये से ही विकास नहीं हो जाता बल्कि इसके लिये अच्छा प्रशासन भी चाहिये और वह तब होगा जबकि इसका

महाराष्ट्र से विलय हो जो राजनैतिक तथा आर्थिक से दृष्टि से अधिक अच्छा है। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग सुझाव है।

नई दिल्ली में कारों की चोरी

*948. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 तथा जनवरी, 1965 में नई दिल्ली में कारों की चोरी के कितने मामले हुए ; और

(ख) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) क्रमशः 2 और 8

(ख) ऐसी चोरियों की रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:--

(1) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक मोटरकार चोरी दस्ते की स्थापना की गई है। यह दस्ता आवश्यक गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है और जिला पुलिस अधिक्षकों को मासिक समीक्षाएं भेजता है ताकि वे प्रभावित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रख सकें।

(2) कारों तथा टैक्सियों के मालिकों को अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते समय, विशेष रूप से तब जब वे खड़े करने की जगह से बाहर खड़ी की जायं, उनकी सुरक्षा के बारे में शिक्षा देने के लिये विधिवत अभियान शुरू किये गये हैं।

(3) जिन इलाकों में कारों की चोरी की धटनाओं की सूचना मिली उनमें कांस्टेबिलों की गश्त तेज़ की गई ।

(4) संदेहास्पद व्यक्तियों और कारों की चोरी के पुराने अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

(5) दिल्ली पुलिस बम्बई तथा कलकत्ते (जहां यह अपराध होता है) की पुलिस से भी सम्पर्क रखती है ताकि सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि चरायी गयी इन कारों में से कितनी वापिस मिल गई हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि चुरायी गयी बहुत सी कारें वापिस मिल गई हैं और केवल 8.4 प्रतिशत अभी तक नहीं मिली हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि चुरायी गई कारों का प्रयोग राजधानी में अपराध करने के लिए किया गया था ?

श्री ल० ना० मिश्र : अधिकतर कारें 3 कामों के लिये चुरायी गयी हैं, 34 प्रतिशत तो पुर्जे बदलने के लिये; 13 प्रतिशत केवल सवारी करने के लिये; 13 प्रतिशत पहचान में भूल के कारण और 3 प्रतिशत उनके लिये जिन्होंने इन कारों में रुपया लगाया था अथवा क्रयविक्रय के लिये।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें क्या दंड मिला जो केवल सवारी की मौज के लिये चुरा ले गये ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : A car was stolen in May, 1964 and the son of a big man—a minister or a Secretary was found involved in it. What happened to it as the newspapers gave it that the case was hushed up ?

Shri L. N. Mishra : I placed a statement on the table of the House last week regarding this. Anyhow the son of a joint secretary was alleged to be involved in it. An identification parade was held and his finger prints were also examind. The matter was dealt with by the I.G. Police, but it was not substentiated. Therefore he was presented before a magistrate and the case was filed. No Minister's son was involved in it.

श्री बड़े : संसद भवन में 20 पृष्ठ की एक पुस्तिका बांटी गई है। क्या हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : चाहे यह पुस्तक 100 पृष्ठ की हो। जो सूचना मांगी गई, वह दे दी गई है और यह बता दिया गया है कि किसी मंत्री का बेटा इसमें नहीं था। और अब आप क्या चाहते हो।

Shri Onkar Lal Berwa : Was any investigation held in respect of the Minister's son as it was done against the son of the Joint Secretary.

Shri L. N. Mishra : I have stated that no charge was levelled against the son of any Minister.

Mr. Speaker : When you ask a question, the Government gives a reply. I cannot institute an enquiry whether the information given by the Minister is correct or incorrect.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कि माननीय सदस्य बैठे बैठे बोलते रहें। यह मेरा कहना प्रत्येक सदस्य के लिये है।

Shri Onkar Lal Berwa : My question has not been answered?

Mr. Speaker : The answer has been given.

श्री शिकरे : उपमंत्री महोदय ने बताया कि ऐसी कारों की चोरियों को कई श्रेणियों में रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार को किस श्रेणी में रखा गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि यह पता नहीं कि किस कार्य के लिये यह कार ले जायी गई और कहां छोड़ दी गई ।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether in the theft of this Car which was stolen in May 1964, some boys were also involved. If so, whether Government had correspondence with the guardians of those boys and with whom.

Shri L. N. Mishra : The person who had lodged report thought that some juvenile boys were involved in the theft. It was found out that they were not involved. The person whose car was stolen came and had talks with our officials and the words which he uttered were : "Law will take its own course" and that efforts will be made to find out the truth.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was whether any correspondence has been done with the guardians of the boys and if so, who are those persons.

Shri L. N. Mishra : No correspondence has been made with the guardians of the boys ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जिस रात को मई, 1964 में यह कार चोरी हुई तो वह संयुक्त सचिव जिसके पुत्र इसमें बताया जाता है वह कार के मालिक के भाई से मिला और उस से पूछा कि क्या उनकी कार चोरी हो गई है क्योंकि कार बाहर खड़ी की थी और वह गायब थी । यदि हां, तो क्या उस संयुक्त सचिव से कोई पूछताछ की है कि वह उस सुबह क्यों गये थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : संयुक्त सचिव से भी पूछताछ की है और उसने कहा है कि वह कार के मालिक से मिला था जो दिल्ली पुलिस के महा निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दी है मैं उसमें से पढ़ता हूं :—

"श्री धर्म यश देव से काफी पूछताछ की । उसके बयान के आधार पर हमने श्री मोहम्मद यूनस, श्रीमती मोहम्मद यूनस उनके नौकर तथा अर्दली से भी पूछताछ की तथा श्री जे० एन० नायडू, उस कार का ड्राईवर जिसने श्री आदिल अली यूनस को उनके घर से लिया तथा उसे सफदरजंग हस्पताल ले गया, श्री आदिल यूनस उसके मित्र अर्थात सर्वश्री विनय कपूर, सान्ति बचन तथा सुमन्त चोपड़ा, श्री राजकमल पसरीचा, उसका भाई श्री जीत सिंह पसरीचा और श्री इन्द्रसिंह चावला, भगतसिंह मार्कीट का एक मोटर मिकेनिक जिसने श्री पसरीचा की मोटर साईकल मरम्मत की थी । हमने सफदरजंग अस्पताल के रिकार्ड, डा० सेन नर्सिग होम तथा नई दिल्ली के परिवहन निदेशक के रिकार्डों की जांच की ताकि श्री आदिल यूनस के इलाज के बारे में पता लग सके तथा उसके मोटर साईकल चलाने के लाईसेंस की भी जांच की । श्री आदिल के उंगली निशानों की भी उनसे जांच की जो निशान कार पर मिले । श्री आदिल यूनस की पहचान परेड हुई । इस जांच से पता चला कि श्री आदिल यूनस का न ही तो मेजर डी० वाई० देव की कार की चोरी से सम्बन्ध है और न ही उस मोती बाग स्थित भारतीय तेल पेट्रोल पम्प के पेट्रोल चोरी से । श्री धर्म यश देव से दोबारा पूछताछ की और उस ने और कोई निशान तथा गवाह देने से इन्कार कर दिया ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न था कि श्री यूनस से पूछ ताछ की तथा वह क्यों उसके घर आया ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ गया है । अगला प्रश्न ।

स्कूल के अध्यापकों के वेतन क्रम

*949. श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वे० द० पुरी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री कोया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया ।
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वाजी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों तथा रहन-सहन की दशाओं में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा अब तक इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

इस दिशा में किये गये मुख्य प्रयास ये हैं :—

1. सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों में वेतन-क्रमों में सुधार करने तथा त्रि-लाभ योजना को लागू करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता ।

2. सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में असमानता दूर करने की आवश्यकता राज्य-सरकारों को समझाना ।

3. अध्यापकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधायें ।

4. अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता के आधार पर छात्र-वृत्तियां ।

5. अध्यापकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ।

इसके परिणामस्वरूप सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतन-क्रमों तथा रहन-सहन की दशाओं में आमतौर पर सुधार हुआ है । सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों और भत्तों में वर्तमान असमानता दूर करने के भी प्रयत्न किये गये हैं ।

Shri Yashpal Singh : The statement laid on the Table of the House is vague. According to existing pay scales, a teacher in Delhi gets the double pay of what one gets in U. P.. The Government have not indicated in the statement the rates of increase effected in different States like Punjab, U.P., etc. and as also the States taken steps taken to do away with or reduce the disparity between their enrolments.

श्री मु० क० चागला : जैसाकि मैं सभा को कई बार बता चुका हूं यह मुख्यत: राज्य का विषय है और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वेतन-क्रम हैं । यदि कोई प्रश्न विशेष रूप से उसी उद्देश्य से पूछा गया होगा, तो मैं वेतनों की विषमता दिखाने वाले विवरण सभा-पटल पर रख देता । किन्तु जिस ढंग से प्रश्न पूछा गया है उसी ढंग से मैं ने उत्तर देने का प्रयास किया है । प्रश्न यह है कि क्या वेतनों में सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है । मैं ने विवरण में यह बताया है कि संघ सरकार ने प्रयत्न किये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि अध्यापकों के वेतनों से सम्बन्धित मामलों का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है । हम केन्द्र तथा राज्यों के उत्तरदायित्व को भली भांती समझते हुए इस सभा में प्रश्न पूछते हैं । हमें यह बताया गया है कि 50 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करती है इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछे । हमने इस सभा में कई प्रश्न रखे और शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वह योजना के लिए निर्धारित राशि में से कुछ न कुछ धन राशि इस उद्देश्य के लिये दें । मंत्री महोदय का यह कह देना कि यह राज्य का विषय है बहुत अनुचित है, और मैं यह बात शिक्षा मंत्री श्री चागला के प्रति बिना किसी आक्षेप की भावना से कह रहा हूं । इस बात को अच्छी तरह जानते हुए, कि केन्द्र की सहायता के बिना राज्य सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर सकती, हम यह प्रश्न पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और कई बार इसका उत्तर भी दिया जा चुका है । स्थिति के बारे में बता दिया गया है । प्रश्न तो यह था कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वेतन-क्रम हैं और प्रश्न पूछा जाता है : कितना पंजाब में किया गया, कितना उ० प्र० में किया गया, इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय यही उत्तर दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उन के उत्तर भी दे दिये गये हैं । यदि पहले प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद कोई बात हुई हो, तो उसे मुझे सभा के सामने रखना होगा । केवल यही बात है जो पूछी जा सकती है ।

Shri Yashpal Singh : There are cases where teachers are paid two hundred rupees per month but their signatures are obtained by the Management for about three hundred rupees. May I know whether Govermment are taking any action in order to do justice to them ?

Mr. Speaker : This question too has been put several times.

श्री मु० क० चागला : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यदि दिल्ली प्रशासन में इस प्रकार के दुरुपयोग के बारे में बताया जाय, तो मैं अवश्य ही मामले की जांच करुंगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : The statement showing efforts made in this direction indicates that there has been improvement in the conditions. Keeping in view the requirements of the teaachers, may I know whether Government have considered the matter of fixing minimum salary for them and whether they have taken any steps in this regard ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां। हम राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के मामले पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं और मैं योजना आयोग से इस सम्बन्ध में निरन्तर बातचीत कर रहा हूं। मुझे इस बात का दु:ख है कि अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know what assistance has been given by the Centre to various States for improving the lot of teachers ?

श्री मु० क० चागला : मैंने इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया है। हमने यह वचन दिया है कि अध्यापकों की दशा में सुधार करने के मामले में राज्य सरकारों का जो खर्च होगा उसका 50 प्रतिशत हम देंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यह धन राशि राज्य योजना में निर्धारित धन राशि के 50 प्रतिशत होगी। मांग इस बात की है कि उन्हें राज्य-योजना के अनुसार दिये जाने वाले धन के अतिरिक्त और कुछ धन राशि दी जाये। मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील हूं कि कुछ पिछड़े हुए राज्यों को निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त और कुछ धन राशि दी जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुछ समय से यह आश्वासन दिया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों को राष्ट्रीय-स्तर पर एक-समान लाने के उद्देश्य से राज्यों को सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। क्या मैं जान सकती हूं कि इस समय बातचीत की क्या स्थिति है और चौथी योजना से पहले उसका क्या रूप होगा ?

श्री मु० क० चागला : मैं सदस्य महोदया को सारी कठिनाइयां बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि, क्या केन्द्रीय सरकार के लिये यह संभव है कि वह अध्यापकों को वेतन-भुगतान सम्बन्धी उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले ले? यह करीब-करीब असंभव है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये का खर्च है। शिक्षा एक राज्य-विषय है और इसका मूल उत्तरदायित्व राज्य पर है। दूसरी बात, क्या हमें राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारित कर देने चाहियें ? यदि हम ऐसा कर दें, तो वेतन को बढ़ा कर न्यूनतम वेतन के स्तर पर लाने का उत्तरदायित्व किस पर होगा ? तीसरी बात यह है कि क्या अध्यापकों को सामान्य भुगतान सम्बन्धी प्रश्न को योजना के मद में रखा जाए या योजना से भिन्न मदों में और राज्य सरकारों से कहा जाय कि अध्यापकों को असैनिक कर्मचारियों की तरह भुगतान किया जाये, उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाये और उस व्यय को प्रशासन सम्बन्धी सामान्य व्यय समझा जाय ? ये बहुत कठिन प्रश्न हैं। हम विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं और मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बात के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि अध्यापकों के साथ न्याय किया जाए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा एक विशेष प्रश्न था। मंत्री महोदय ने लम्बा सा उत्तर दिया किन्तु उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं समझा। मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया था कि उन्होंने प्रधान मंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्रालय से इस बारे में विचार-विमर्श किया था कि केन्द्रीय सरकार राज्यों की मांग को यदि पूरी तरह नहीं तो आंशिक तौर पर किस प्रकार पूरी कर सकती है। बातचीत किस तौर पर है और वह क्या रुख धारण कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : वह केवल उत्तर प्रदेश के ही सम्बन्ध में था। हम ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को यह सुझाव दिया कि हम उन्हें कुछ सहायता दे सकेंगे। हम से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल समाप्त होने तक इस मामले को स्थगित रखा जाये। अध्यापकों द्वारा हड़ताल समाप्त किये जाने के तुरन्त पश्चात् मैंने शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश को लिखा कि अध्यापकों ने अब उनकी बात मान ली है अतः वह अध्यापकों को जो कुछ भी रियायत देना चाहें उसकी घोषणा कर दें। किन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

श्री बी० चं० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि केवल हड़ताल करने से ही परिणाम निकल सकते हैं, तो इस समय चंडीगढ़ में अध्यापकों के मामले में विधान परिषद् के दो सदस्य भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे दोनों शासक-दल के सदस्य हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि अध्यापकों की दीन दशा की ओर यहां के मंत्रियों अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों का ध्यान दिलाने का और भी कोई मार्ग है ? क्या राज्यों के शिक्षा मंत्री, जिनकी एक बैठक जून में श्रीनगर में होने वाली है, इस समस्या पर भी विचार करेंगे; और क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें इस बात पर विचार करने का अधिकार देगी, ताकि वे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से लेकर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक तथा कालेज के प्राफेसरों से लेकर विश्वविद्यालयों के प्राफेसरों तक के मामलों के सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय कर सकें ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का, अर्थात् हड़ताल को छोड़ कर क्या कोई अन्य मार्ग भी है, सम्बन्ध है, मेरा उत्तर है—'हां' और वह मार्ग है प्रजातंत्री ढंग। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मुझे यह कहना है कि मैं शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में, जो 5 जून को हो रहा है, अवश्य ही इस मामले को उठाउंगा।

Shri Prakash Vir Shastri: It has been reported in the press that the strike of the teachers of Uttar Pradesh was called off by them on the assurance given by the Central Education Minister. The Statement of the U. P. Education Minister issued today says that they are not in a position to raise the salaries of the Primary and Secondary School teachers because it will involve an amount of Rs. 7 crores as an additional burden on them. May I know the basis on which the Central Education Minister gave them assurance and the reason for refusal by the State Education Minister to implement it? May I also know whether the Central Educaton Minister keeping in view his assurances, will be pleased to provide something to these teachers who called off the strike?

श्री मु० क० चागला : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री तथा मैं स्वयं वहां शिक्षा मंत्री से मिला। हम ने प्रश्नों पर विचार विमर्श किया और हम ने कुछ सुझाव रखे कि केन्द्रीय सरकार किस सीमा तक तथा किन उपायों से अध्यापकों की दशा में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता कर सकती है। शिक्षा मंत्री के पास इन सभी तथ्यों की जानकारी है। अब उन्हें यह तय करना है कि केन्द्र जो सहायता देने के लिए तैयार है वह अध्यापकों में किस

प्रकार अथवा किस रूप में वितरित की जाये । उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है । वहां प्राथमिक स्कूलों के भी अध्यापक हैं और माध्यमिक स्कूलों के भी अध्यापक हैं । प्रश्न यह है कि उनका वेतन बढ़ाया जाय अथवा उनके मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाये। किन्तु यह मुख्यत: उन्हीं का मामला है । मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मैंने तथा वित्त मंत्री ने उन्हें यह सूचित कर दिया है कि हम किस सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता कर सकते हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the efforts being made for improving the lot of teachers also include this consideration that teachers may be posted at or near their residences so that they might meet their domestic expenditures with lesser amounts ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां; कर्मचारियों, विशेषकर महिला अध्यापकों के लिए क्वार्टरों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम ने देखा है कि स्त्रियां गांवों में जाने के लिए तब तक तैयार नहीं होतीं जब तक कि उनके पास रहने के लिए क्वार्टर न हों ।

Shri K. N. Tewary : In Bihar also teachers had given notice of strike, but subsequently they entered into an agreement with the Government of Bihar. May I know whether it is being implemented ; if not why not ; is there shortage of funds and if so whether the Central Government are going to help the State Government ?

श्री मु० क० चागला : बिहार सरकार ने किसी विशेष सहायता के बारे में एक प्रस्ताव भेजा था और उसकी आगे छान-बीन हो रही है । यह एक छोटी-सी धन-राशि है और यथासंभव, जहां तक मैं समझता हूं, वह रियायत उन्हें दी जायेगी । इसके अतिरिक्त बिहार सरकार का हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न राज्यों में अध्यापकों के वेतनों में बहुत असमानता है, क्या सरकार का यह विचार है कि समस्त देश में एक समान वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव रखा जाये और क्या वह यह ठीक समझती है कि अध्यापकों के निजी ट्यूशन बन्द कर दिये जाएं ?

श्री मु० क० चागला : एक आदर्श के तौर पर मैं इस बात से सहमत हूं कि समान वेतन होना चाहिये और वह निर्धारित किया जाना चाहिये । परन्तु प्रश्न संसाधन खोजने का है । यदि हमारे पास पैसा होता और केन्द्र अध्यापकों के वेतन में वृद्धि का भुगतान कर सकता तो हम अवश्य ही यह कर देते । परन्तु मैं फिर दोहराता हूं कि अन्तिम उत्तरदायित्व राज्यों पर ही होना चाहिये और हमारे यह कहने में कोई तुक नहीं है कि उन्हें अध्यापकों को 150 रुपये वेतन देना चाहिये जबकि हम उस योजना को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : In the statement laid on table by the hon. Minister it has been indicated that an endeavour has been made to remove the disparity between the salaries of private and Government school teachers but it appears that he has not been able to remove the disparity for want of resources. The salaries of teachers of primary schools in U.P., the responsibility for whose running is upon the Central Government, are even lesser than the salaries given to to peons of the Central Govrnment. In this context, may I know what measures are going to be taken by the Education Ministry to raise the pay scales of these primary schools teachers ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर कैसे है। यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परन्तु राज्य सरकारों से बार बार यह कहा गया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों की असमानता को दूर किया जाना चाहिये और उनके वेतन-क्रम समान होने चाहियें।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को देखते हुए कि सारे देश में अध्यापकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री केन्द्र से सहायता प्राप्त किये बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या भारत सरकार अध्यापकों की काम की दशाओं तथा वेतनों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के मार्गोपाय सुझाने लिये एक मजूरी अथवा वेतन आयोग नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

श्री रंगा : क्या संघ सरकार राज्य सरकारों के सिर के ऊपर ऐसा आयोग नियुक्त कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं जब माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो भी प्रश्न पूछा जाये उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिये। बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कई बार उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मु० क० चागला : आपने ठीक ही कहा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुका हूं। मैं फिर इसका उत्तर दे देता हूं। जहां तक वेतन आयोग अथवा मजूरी समिति की नियुक्ति का प्रश्न है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने कोई आपत्ति नहीं की है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल तथा मद्रास राज्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए हैं। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि यदि हम वेतन आयोग नियुक्त करें, तो हम उस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति में हों। जब हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करते हैं तो हम उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति में होते हैं। यदि वेतन आयोग यह कहता है कि भारत में प्रत्येक अध्यापक को 200 रुपये प्रति मास वेतन दिया जाये तो हमारे पास उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय संसाधन होने चाहियें। परन्तु वह सामर्थ्य हम में नहीं है। यही हमारी कठिनाई है।

Shri R. S. Pandey : The primary and middle school teachers were hopeful that after the appointment of a judge as a Education Minister their salaries would be raised. But the hon. Minister has just now said that it is the responsibility of State Governments. May I know whether he would try to call a meeting of State Education Ministers for laying down a uniform policy in regard to the salaries of teachers, so that there may not be any disparity in their salaries from State to State ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। जून के पहले सप्ताह में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें इस विषय पर भी चर्चा की जायेगी कि अध्यापकों के वेतनक्रमों में किस प्रकार सुधार किया जाये।

राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक समिति

+

*950. { **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत पर प्रामाणिक तथा उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिये एक राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक समिति अथवा बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीन स्कूल-शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए नमूने की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है। हिन्दी और प्राणिविज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार और प्रकाशित भी हो चुकी हैं, और अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें 1965–66 में तैयार हो जायेंगी, यह आशा की जाती है।

कालेज कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है जो पाठ्य पुस्तकें, किसी एक विषय पर लेख लिखने तथा अन्य पाठ्य सामग्री तैयार करने की योजना बनायेगी।

(ग) स्कूल-पुस्तकें तैयार करने का अनुमानित खर्च लगभग 8,36,000 रुपये है।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether the Text book Committees functioning in various States have been coopted on the Central Committee and if so, to what extent ?

श्री मु० क० चागला : प्रत्येक राज्य की अपनी पाठ्य-पुस्तक समिति है। उद्देश्य यह यह है कि एक जैसी पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहियें और साथ ही साथ वे उच्चतम स्तर की होनी चाहिये। इसीलिये यह समिति बनाई गई है। हम अच्छे से अच्छे विशेषज्ञों द्वारा लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में पुस्तकें सभी राज्यों को भेजी जायेंगी और प्रत्येक राज्य को उनका ऐसे परिवर्तनों के साथ जिन्हें वे उचित समझें, अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कहा जायेगा मेरी राय में शिक्षा में समानता लाने का यही सर्वोत्तम तरीका है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मु० क० चागला : समिति में राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने कोई विशेष मान सोच निकला है जिसके आधार पर पाठ्यपुस्तकों का स्तर तथा उनकी किस्म निर्धारित की जायेगी और यदि हां, तो वह मान क्या है?

श्री मु० क० चागला : वह मान इस प्रकार है। उदाहरण के लिये जीव विज्ञान को ले लीजिये। हमने पाठ्य पुस्तक निकाल दी है। हम भारत के अच्छे से अच्छे जीव विज्ञान शास्त्रियों की सेवाएं प्राप्त करते हैं। वे या तो स्वयं पुस्तक लिखते हैं या सम्पादन करते हैं। इससे अच्छा और क्या मान हो सकता है कि किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले योग्यतम व्यक्ति को उस विषय पर पुस्तक लिखने के लिये कहा जाये।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of Members of this Committee and whether the States would be represented on this Committee or whether the State Governments have decided to appoint any separate Committee ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास समिति के सदस्यों के नाम हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम पढ़कर सुना सकता हूं। राज्यों से विशेष रूप से इस समिति में कोई व्यक्ति नामजद नहीं किया गया है। परन्तु जहां तक संभव होता है हम देश के विभिन्न भागों से व्यक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमने राज्यों को अपने व्यक्ति नामजद करने के लिये नहीं कहा था।

Shri Onkar Lal Berwa : What is their number ? How many are there from the States ?

श्री मु० क० चागला : केन्द्रीय समिति में 12 सदस्य हैं। प्रत्येक विषय के लिये भिन्न भिन्न तालिकाएं हैं। परन्तु मुख्य समिति के सदस्यों की संख्या 12 है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the names of the languages in which text books would be included and whether a text book on yogic exercises would also be included ?

श्री मु० क० चागला : जैसा मैंने पहले कहा, हम हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुस्तकें निकाल रहे हैं। उन्हें अंग्रेजी में इसलिये प्रकाशित किया जा रहा है कि हम उन्हें विभिन्न राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिए भेज सकें।

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether there will be any text book on yogic exercises.

श्री मु० क० चागला : जी नहीं।

Shri R. S. Pandey : May I know whether the National text books Committee has been asked to prepare such text books, keeping in view the language and the particular subject, as would contribute to forge emotional integrity in the country ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात को सबसे महत्वपूर्ण समझता हूं कि देश में उचित इतिहास पुस्तकें तैयार की जायें। एक पैनल भारत के इतिहास पर एक पाठ्यपुस्तक तैयार कर रहा है और मुझे आशा है कि उससे देश की एकता को बढ़ावा मिलेगा।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether tent books published by the Text Book Committee would be supplied to students on "no profit, no loss" basis or on a nominal profit?

श्री मु० क० चागला : हमारा विचार उन्हें सस्ते से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करने का है। यदि उनपर अधिक लागत आयेगी तो भी उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध किया जायेगा ।

कोयाली रिफाइनरी

\+

*951 { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरों ने कोयाली रिफाइनरी, गुजरात के विस्तार के रूप में स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त यूनिट की पूरी रूपरेखा तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी हां । गुजरात शोधनशाला में स्थापित की गई केन्द्रीय डिजाइन संस्था (Central Design Organisation) के भारतीय इंजीनियरों ने कुछ रूसी विशेषज्ञों की सहायता से गुजरात शोधनशाला परियोजना के 2 मिलियन मीटरी टन से लेकर 3 मिलियन मीटरी टन की क्षमता के विस्तार के पूर्ण रूपांकन कार्य को हाथ में लिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या इस शोधनशाला में प्रयोग करने के लिये कच्चा तेल आयात करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री हुमायून् कबिर : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उस समझौते की शर्तों के बारे में हमें कुछ बताया जायेगा जो किसी विदेश के साथ हुआ है?

श्री हुमायून् कबिर : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया हूं।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कारण है कि इन शोधनशालाओं का इतना अधिक अनुभव होने के बावजूद हम विदेशी विशेषज्ञों पर इतना अधिक धन व्यय कर रहेहैं और अपनी विदेशी मुद्रा के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक इन शोधनशालाओं के तकनीकी पहलू का सम्बन्ध है, भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : मैं ने अभी बताया है कि जहां तक बड़ौदा शोधनशाला के 20 लाख मेट्रिक टन से लेकर 30 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के विस्तार का सम्बन्ध है, भारतीय इंजीनियर उसका रूपांकन तैयार कर रहे हैं । इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि उसमें विदेशी विशेषज्ञ हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : कोयाली शोधनशाला के महा-प्रबन्धक इस समय मास्को में हैं। क्या वे रूपांकन के सम्बन्ध में रूसी इंजीनियरों से परामर्श करेंगे और उस बात का ध्यान में रखेंगे कि रूपांकन में कोई त्रुटियां न हों ?

श्री हुमायून् कबिर : मुझे अपने इंजीनियरों में पूर्ण विश्वास है और वे इसके रूपांकन तैयार कर रहे हैं। परन्तु हम कुछ विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं। आठ रूसी विशेषज्ञ 40 भारतीय इंजीनियरों, 80 नक्शानवीसों और आगणकों की सहायता कर रहे हैं।

श्री वारियर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूपांकन-कार्य में भारतीय इंजीनियरों को इतना अनुभव हो गया है, क्या सरकार भारत में तेल शोधनशालाओं के लिये पूरे भारतीय ढंग का रूपांकन केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : मेरे विचार से हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि हम आरम्भ से लेकर अन्त तक पूरा रूपांकन तैयार कर सकें। इसका विस्तार करना कुछ आसान है क्योंकि कुछ मूल तत्व तो पहले ही उपलब्ध हैं। परन्तु हमने भारतीय इंजीनियर्स लिमिटेड नामक एक फर्म पहले ही स्थापित की है जो शोधनशालाओं के लिये भविष्य में रूपांकन तैयार करने और इंजीनियरी को सहायता दान करने में बहुत मदद करेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस देश के साथ इस बारे में ठेका किया गया है, उसके साथ किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : बड़ौदा के समीप कोयाली शोधनशाला रूसी सहयोग से बनाई जा रही है। इस बारे में पहले ही समझौता हो चुका है और पहला 10 लाख मेट्रिक टन उत्पादन कुछ ही महीनों में आरम्भ हो जायेगा।

अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ

*९५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक संघ का प्रतिनिधि मण्डल अपनी मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये मार्च, 1965 में प्रधान मंत्री से मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी ठीक ठीक मांगे क्या थीं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतया नीचे दी गई मांगें निर्देशित की गई थीं।

उपलब्धिओं में वृद्धि सेवा शर्तों में सुधार, वेतन आयोग की निमुक्ति तथा अध्यापकों के चुनाव क्षेत्रों का अवरोधन।

(ग) सरकार के पास पहले से ही विभिन्न समस्यायें हैं और वह समुचित कारंवाई कर रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : अध्यापकों को न केवल निर्वाह मजूरी बल्कि शिक्षा के स्तर में समानता सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : यह दूसरे रूप में वही प्रश्न है। इस लिये मेरा उत्तर वही हो सकता है।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखने की ग्रावश्यकता महसूस की है कि कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त तक ग्रध्यापकों की उचित मांगे पूरी की जांये ?

श्री मु० क० चागला : मुझे ग्राशा है कि उस से बहुत पहले ही वे पूरी की जायेंगी। मुझे इसका पूर्ण विश्वास है।

श्री हेम बरुग्रा : क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की माध्यमिक पाठशालाग्रों के ग्रध्यापकों की हाल की इस मांग की ग्रोर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग जैसा एक माध्यमिक पाठशाला ग्रनुदान ग्रायोग नियुक्त करना चाहिये ? यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : हमने इस प्रस्ताव की कानूनी जांच करवाई थी। विधि मन्त्रालय की यह राय थी कि संविधान के ग्रधीन ऐसा करना हमारे लिये सम्भव नहीं है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है। परन्तु ग्रायोग के ग्रतिरिक्त, मैं माध्यमिक शिक्षा को सबसे ग्रधिक महत्व देता हू ग्रौर उसके सुधार के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है वह मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister is not properly answering the question which is being asked in connection with teachers. I want to know what provision he is going to make specially in the new budget to fulfil his promise to teachers. In this hon. House he had declared that he would do something for them in case U.P. teachers call off strike. So I want to know what he is going to do specially in the new budget.

श्री मु० क० चागला : ग्रागामी ग्राय व्ययक में, उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिये ग्रधिक से ग्रधिक जो कुछ सहायता हम राज्यों को दे सकते हैं निश्चय ही देंगे। जहां तक हमारे द्वारा विशेष रकम दिये जाने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री से हमने बातचीत की थी ग्रौर हमने कुछ विशेष सुझाव दिये हैं। ग्रपने राज्य में ग्रध्यापकों को ऐसी रियायतें देने की घोषणा करना जिन्हें वे उचित समझें, उन पर निर्भर है। हम उन्हें ग्रमुक कार्य करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। हम केवल परामर्श ही दे सकते हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The reply is still vague.

श्री प्र० ग्र० शर्मा : ग्रध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र समाप्त करने के सम्बन्ध में ग्रन्तिम निश्चय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री मु० क० चागला : सरकार इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

स्कूल के ग्रध्यापकों के लिये ग्रंशदायी भविष्य निधि

+

*953. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कल योजना के ग्रधीन रखे गये ग्रध्यापकों के लाभ के लिये ग्रंशदायी भविष्य निधि योजना सरकार के विचाराधीन है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) अध्यापकों को अपने वेतन का कम से कम $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत अंशदान के रूप में देना होगा और केन्द्रीय स्कूल संगठन भी वेतन का $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत अंशदान के रूप में देगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह योजना कब से विचाराधीन है और इस मामले में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : विधि मन्त्रालय के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम रूप से तय की गई योजना 1 अप्रैल से कार्यान्वित की जायगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : सेवा निवृत्त होने पर अध्यापकों को आजकल कितना आर्थिक लाभ होता है और अन्य सरकारी योजनाओं के अधीन माध्यमिक अध्यापकों को प्राप्त लाभ की तुलना में वह कम है या अधिक ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : केन्द्रीय पाठशाला योजना केवल 1963-64 में आरम्भ की गई थी। इस योजना की मुख्य बातें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लाग योजना की मुख्य बातों जैसी हीं होंगी। जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूं, प्रस्तावित अंशदायी भविष्य निधि के अधीन प्रारूप नियमों को, विधि मन्त्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाना है। परन्तु यह योजना 1 अप्रैल से लागू हो जायेगी चाहे अन्तिम रूप कुछ देर बाद ही दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है...

श्री अ० प्र० शर्मा : खड़े हुए (**सब हंस पड़े**)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

District Administration

955. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to study various problems and aspects of district administration; and

(b) if so, the main features of the proposed study ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) The detailed design of the study has yet to be finalised. However, the underlying object of the study will be to analyse the main trends of administrative development at the district level and to see how better coordination can be secured.

Pakistani Text Books in Rajasthan Schools

*956. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani text books for children are being taught in some schools in Rajasthan and 64 such boooks have been recovered from there and some persons had also been arrested in this connection by the Rajasthan Police; and

(b) if so, whether the teaching from these Pakistani text books has been stopped in Rajasthan ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

भारत-सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम

*957. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 1965-66 के लिये भारत सोवियत सांस्कृतिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम को हाल ही में अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संघ और भारत के मध्य 1965–66 में होने वाले सांस्कृतिक विनिमय, जिन में 80 विषय शामिल हैं, की विशषता यह है कि :

यह भारत और सोवियत संघ के मध्य विज्ञान (प्राकृतिक, बुनियादी, चिकित्सा सम्बन्धी), कला, संस्कृति, शिक्षा, भाषा और साहित्य, फिल्म और प्रसारण, खेल-कूद और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इन तरीकों से हर प्रकार का सहयोग और सहभाग प्रदान करता है।

(क) एक दूसरे देश में स्नातकोत्तर अध्ययन, प्रशिक्षण और उच्चतर विशेषीकरण के लिए शोधकर्ताओं/विद्यार्थियों/अध्यापकों का विनिमय करके;

(ख) कलाकारों, शोधनकर्ताओं, शिक्षा शास्त्रियों, पत्रकारों, सम्पादकों, संगीतकारों और फिल्म कार्यकर्ताओं आदि का अध्ययन और निरीक्षण, आपसी चर्चाओं और भाषण देने के लिए भ्रमण-विनिमय करके;

(ग) सांस्कृतिक मण्डलों, प्रदर्शनियों और खेल की टीमों के विनिमय करके,

(घ) एक दूसरे के देश में फिल्मोत्सवों का आदान प्रदानात्मक संगठन करके;

(ङ) भाषाएं सिखाने के लिए अध्यापकों का विनिमय तथा तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में शिक्षण के लिए रूसी अध्यापकों के आगमन द्वारा; और

(च) सूचनाओं, प्रकाशनों तथा सामग्री आदि के विनिमय द्वारा विशषीकृत संगठनों और उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्य संस्थागत सहयोग के द्वारा।

Use of Official Language

*958. **Shri V. Venkatasubaiah :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ravindra Varma :
Shri K. C. Pant :
Shri M. R. Krishna :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whethers a Cabinet sub-Committee has been constituted to evaluate the assurance given by the late Shri Nehru regarding the use of official language;

(b) if so, whether this Committee has also been entrusted with the task of considering the amendments to the Official Language Act; and

(c) whether some decision will be taken in the current session of Parliament?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) and (b). A Cabinet Committee has been constituted to examine different aspects of the official language question, including the question of amendment of the Official Languages Act.

(c) It is hoped that final conclusions would be reached before the expiry of the current Session.

जाली पाठ्यपुस्तकें

*959. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): राज्य सरकारों से की गयी एक पूछ-ताछ से पता चलता है कि वहां पर स्कूल पाठ्यपुस्तकों के जाली संस्करणों की बुराई के सम्बन्ध में शिकायतें हैं। ऐसे सब मामलों में, राज्य सरकारों ने, जिन्हें पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है, सूचित किया है कि इस बुराई को कम करने तथा उसे रोकने के लिए उचित कार्रवाई की गई है।

Screening of Refugees

***960. Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are screening refugees who came from East Pakistan;

(b) if so, the number of those among them who have not been found bona-fide refugees; and

(c) The action taken by Government against them ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) (a) Yes, Sir.

(b) So far about 1200 persons have been found to be not genuine migrants. In additipn, during recent months, a large number of persons, who are suspected to be spurious migrants, have left the camps for fear of detection by the screening teams.

(c) Spurious migrants are discharged from the camps and steps are taken to prosecute the heads of the families concerned.

New Engineering Colleges

***961. { Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the opening of new engineering colleges during the current year is under consideration in view of the increasing interest and demand for engineering education;

(b) whether it is proposed to raise the status of some of the existing engineering colleges; and

(c) if so, the broad outline of the proposal ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Two Engineering Colleges, one at Salem and the other at Hyderabad, are proposed to be set up during the current year.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise for the present.

Meeting of Chief Justices

***962. { Shri D. N. Tiwary :**
Shri Krishnapal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a meeting of Chief Justices of all High Courts was held in New Delhi in the first week of March, 1965, and

(b) if so, the broad outlines of the subjects discussed and the recommendations/suggestions made thereat ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) The Conference was convened by the Chief Justice of India to discuss the problems of common interest concerning the administration of justice. The proceedings of the Conference are of a confidential nature and it will not be in the public interest to disclose them.

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम

*963. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हाल में विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) केन्द्र सरकार वेतनक्रम बढ़ाने पर होने वाले व्यय का कितना भाग देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग ने सिफारिश की है कि नीचे दिए गए संशोधित वेतनक्रम चौथी योजना के प्रारम्भ से विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए लागू किए जाएं :—

प्रोफेसर—1100—50—1300—60—1600 रुपए

रीडर—700—50—1250 रुपए

प्राध्यापक—400—40—800—50—950 रुपए

(ग) आयोग की सिफारिशें तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

माना शिविर को छोड़ना

*964. { **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्रीमती जोहराबेन चावडा : }

क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1000 शरणार्थी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में माना आवाजाही शिविर छोड़ कर चले गये; और

(ख) यदि हां, तो माना शिविर से इतनी भारी संख्या में और लगातार निष्क्रमण के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) (क) जी हां ।

(ख) शिविर छोड़ने के कारण भिन्न हैं :—

(1) ज्ञात होने पर इस बात की निराशा, कि भूमि की प्राप्ति के सम्बन्ध में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी,

(2) पुनर्वास शिविरों में जाने से इंकार करने पर कुछ मामलों में नकद सहायता का बन्द कर दिया जाना;

(3) भरण-पोषण के लिये दी गई नकद सहायता को विस्थापितों द्वारा अपर्याप्त समझा जाना;

(4) गर्मी के आगमन का भय; तथा

(5) उकसाने वालों द्वारा पश्चिम बंगाल में पुनर्वास की उत्तम सुविधाओं के सम्बन्ध में दिये गये वचन ।

पंजाब सीमा पुलिस

*965. **श्री रघुनाथ** सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी पंजाब की सीमा पुलिस के व्यय को वहन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

गृह-कार्य श्री मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर नियुक्त पुलिस का सारा व्यय वहन करने का निश्चय किया है। इसमें चौथे वित्त आयोग की अवधि के अनुसार पंजाब भी शामिल है ।

जहां तक तीसरे वित्त आयोग की अवधि का सम्बन्ध है, भारत सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि पंजाब सरकार द्वारा किये गये व्यय का कितना भाग प्रतिपूर्ति के तौर पर भारत सरकार देगी ।

Issue of Office Orders in Hindi

*966. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Rameshwaranand :
Shri P. L. Barupal :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has issued any orders to the effect that from 26th January, 1965 onwards no office order can be issued in Hindi only ;

(b) whether Government servants have the option to write notes and office orders only in Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Government servants have the option generally to write notes etc. in Hindi under existing instructions, an English translation or summary

should be furnished where a file containing Hindi noting is referred to another Ministry or another Section in the same Ministry.

पुरातत्वीय खोज सम्बन्धी पुर्नविलोकन समिति

*967. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर मोरटीमरे वीलर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई पुरातत्व सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) इस समय सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

उड़ीसा में प्रौढ शिक्षा केन्द्र

2434. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार को इसी प्रयोजन के लिए 1965-66 में अनुदान के रूप में कोई राशि दी गई है या देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). राज्य आयोजना योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता किसी विशेष विकास शीर्ष, उदाहरण के तौर पर सामान्य शिक्षा, पर होने वाले वास्तविक खर्च के आधार पर दी जाती है ; न कि प्रत्येक योजना के लिये अलग-अलग । इसलिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए उड़ीसा सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि अलग से बताना संभव नहीं है ।

उड़ीसा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

2435. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 और 1964-65 में उड़ीसा में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई के कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य को 1965-66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस स्तर पर इस सम्बन्ध में कुछ कहना कच्ची बात होगी ।

बैजनाथ, पंजाब में स्मारक

2436. श्री हेमराज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमण्डल अधिकारी, पालमपुर, पंजाब से बैजनाथ, में सुरक्षित स्मारक के नवीकरण के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या सरकार के पास स्मारक और उस के इर्द गिर्द के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कोई अपनी योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (i) **स्मारक की मरम्मतें**—मरम्मत का काम अभी भी जारी है और अनुमान है कि इस पर 6,742 रुपये खर्च होंगे ।

(ii) **स्मारक के ईर्दगिर्द के क्षेत्रों का सुधार**—इस कार्य के लिए स्मारक के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित आधुनिक इमारतों का शीघ्र अभिग्रहण करना होगा और स्मारक को दर्शनीय बनाने के लिए उसके पास की खुली जगह में यथासमय घास का मैदान बनाना होगा । इमारतों को अभिग्रहण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

(iii) **स्मारक की उचित परिरक्षा**—पास ही बहने वाले एक पहाड़ी नदी के ऊंचे किनारों की मिट्टी कटने से स्मारक को खतरा है । मिट्टी के कटाव को रोकने की एक योजना विचाराधीन है ।

Multipurpose Schools in U.P.

2437. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state the particulars of the financial assistance given to the Uttar Pradesh Government during the Third Plan period so far for opening Multipurpose Schools?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : In the III Plan there is no central scheme for opening of new multipurpose schools as such. Therefore no grants were given for this purpose to U.P. Government.

Grants to U.P. Colleges

2438. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of Degree and Intermediate Colleges in Uttar Pradesh and the amounts of grants given to each of them by the University Grants Commission during 1964-65 for the development of science and libraries;

(b) the number of Degree and Intermediate Colleges whose applications are pending with the University Grants Commission; and

(c) the names of institutions and the amounts asked for by them ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The required information in respect of Degree Colleges is given in the attached Statements (Annexures I and II) [*Placed in the Library. Please see No. LT*-4228/65]. Colleges providing instruction up to Intermediate Standard are not eligible for assistance from the University Grants Commission under Section 2(f) of the U.G.C. Act, 1956.

Central Road Research Institute

2439. { **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh : }

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the nature of research done in regard to construction of durable roads at low cost as a result of road research work done during the last few years ;

(b) the nature of research and other work done in the Central Road Research Institute and whether its work is confined to Delhi alone; and

(c) the amount of recurring and non-recurring expenditure of the Road Research Institute year-wise since it was established ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. Please see No. LT*-4229/65].

हारमोन्स की गवेषणा

2440. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था द्वारा हारमोन्स के एक प्रचुर स्रोत के बारे में की गई गवेषणा का परिणाम सरकार को कब ज्ञात हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अनुसन्धान को पूरा करने में तथा वाणिज्यिक कार्यों के उपयोग के लिए उद्योग के परिणाम उपलब्ध करने में करीब पांच वर्ष लगेंगे ।

दिल्ली के अध्यापक

2441. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में कितने अध्यापकों को नौकरी से अलग किया ;

(ख) उसके क्या कारण थे ;

(ग) कितने अध्यापकों के पद घटा दिये गये हैं ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के आधार पर, 29 अस्थायी अध्यापकों को नौकरी से अलग किया गया :

(i) प्रशासन द्वारा मंजूर की गई असाधारण छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर न आना;

(ii) सिविल सर्जन द्वारा डाक्टरी तौर पर अयोग्य घोषित किया जाना , और

(iii) पिछली नौकरी के बारे में तथ्यों को छिपाना ।

(ग) और (घ). पदावनत किए गए 20 अध्यापकों में से एक प्रशिक्षित स्नातक और 19 उत्तर स्नातक थे ।

Violation of Foodgrains Laws

2442. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the Chief Ministers' Conference recently held in the Capital a proposal to set up an Intelligence Department to keep a watch on those who violate food-grain laws was considered ;

(b) if so, whether the State Governments have ratified it; and

(c) if so, the number of cases detected by this Intelligence Department and the quantity of foodgrains recovered (State-wise) ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

केरल के अध्यापक

2443. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कालेज अध्यापकों ने सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों के समान वेतन क्रमों तथा सेवा की शर्तें सम्बन्धी अपनी मांगें मनवाने के लिये जनवरी, 1965 में हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

2444. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में आधुनिक तरीकों को अपनाकर कर्मचारियों की मंजूर की गई संख्या आधी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या उर्वरक उद्योग के अन्य एककों में भी यही तरीका अपनाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). जी, नहीं । लेकिन फर्टीलाइजर कारपोरेशन ने कार्य की प्रावस्था (operational phase) में प्रायोगिक रूप से (experimental basis) ट्राम्बे कारखाने के स्टाफ की संख्या लगभग 1800 निश्चित की है । तुलनात्मक स्थितियों में दूसरे कारखानों के लिए कारपोरेशन द्वारा सामान्य रूप से निश्चित की गई संख्या के मुकाबले में यह संख्या काफी कम है । यह कमी मुख्यतः मददगारों (helpers) की श्रेणी के निकालने से हुई है ।

(ग) यह विचाराधीन है ।

प्रव्रजन सम्बन्धी आंकड़े

2445. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1965 की पाकिस्तान प्रेस विज्ञप्ति (रिलीज) संख्या 4 में भारतीय मुसलमानों के सामुहिक निष्क्रमण तथा प्रव्रजकों की वापसी के बारे में दिये गये आंकड़े सही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार सही आंकड़े क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भारतीय मुसलमानों के सामूहिक निष्क्रमण के बारे में पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का कोई आधार नहीं है। किसी भी भारतीय मुसलमान को भारत से बाहर नहीं भेजा गया। हां भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले उन पाकिस्तानियों की कुल संख्या, जिन्हें 1961 से 1964 तक की अवधि में आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से निकाला गया, 1,43,230 थी। नवम्बर-दिसम्बर, 1964 के महीनों में इन निकाले जाने वालों की संख्या 1892 थी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर 1964 तक पाकिस्तान को लौटने वाले प्रव्रजकों की संख्या केवल 6,700 थी।

उड़िया साहित्य तथा संस्कृति

2446. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को उड़िया साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान और परिरक्षण के लिये 1964-65 में कोई अनुदान दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनविस): (क) और (ख). 1964-65 में उड़ीसा के लिए निम्नलिखित अनुदान दिए गए :—

(1) उड़ीसा सरकार 40,000 रुपये (वहां के संग्रहालय के विकास के लिए)

(2) उड़ीसा सरकार 3,750 रुपए कटक की शाही मस्जिद की मरम्मत के 50 प्रतिशत खर्च के लिए।

(3) कला विकास केन्द्र, कटक 9,600 रुपये (प्रदर्शन भवन के निर्माण के लिए)

(4) ललित कला पीठ, भुवनेश्वर 11,600 रुपए (भवन निर्माण के लिए)

(5) गंजम जिला, चित्रकला अध्यापक परिषद ब्रह्मपुर 500 रुपए (बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के लिए)।

उड़िया नाटकों को सहायता

2447. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने 1964-65 में उड़ीसा में उड़िया नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनविस) : (क) और (ख). अकादमी ने बिजली तथा ध्वनि सम्बन्धी उपस्करण खरीदने के लिए जनता-रंगमंच, कटक को 18,000 रुपये का अनुदान मंजूर किया था ।

उड़ीसा में खेलकूद

2448. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में उड़ीसा सरकार को राज्य में खेल-कूद के प्रोत्साहन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में अध्यापकों के वेतन-क्रम

2449. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार करने के लिये उड़ीसा के कालेजों तथा हाई स्कूलों को 1964-65 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के संशोधित वेतन-मानों की अदायगी के लिए, उड़ीसा सरकार ने 3,40,177 रुपये की रकम मंजूर की थी । गैर-सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मानों में सुधार के लिए अलग से कोई रकम मंजर नहीं की गई थी, क्योंकि सामान्य सहायक-अनुदान, अनुरक्षण के लिए होते हैं, जिनमें अध्यापकों के वेतन भी शामिल होते हैं ।

ताजमहल

2450. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि ताजमहल का बिजली कन्डक्टर गायब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या इसका पता लग गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसका पता लगाने का प्रयत्न किया गया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी, हां ।

(ख) 10-11 फरवरी, 1965 की रात से ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) जी, हां । पुलिस से शिकायत कर दी गई थी, वह अभी तक चोरी की जांच कर रही है ।

भारतीय भाषाओं के लिए भाषा संस्थाएं

2451. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 19 फरवरी, 1965 को दिल्ली में सुझाव दिया था कि सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए देश के विभिन्न भागों में भाषा संस्थायें खोली जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की समाज सेवा समिति ने फरवरी, 1965 की अपनी बैठक में अखिल भारतीय भाषाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और प्रत्येक भाषा के लिए एक-एक अर्थात् 15 केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया था ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाने के समय, इस पर विचार किया जाएगा ।

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

2452. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले संघ प्रशासित राज्य-क्षेत्रों के लड़कों को प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां देने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ; और

(ग) छात्रवृत्तियां कुल कितनी राशि की होंगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 150.

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई है ।

विवरण

सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भारतीय सैनिक स्कूलों में प्रवेश पाने के अधिकारी संघ राज्य क्षेत्रों के लड़कों को योग्यता तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जायेंगी । यह परीक्षा प्रति वर्ष ली जा सकती है । छात्रवृत्तियों की राशियें क्रमशः इस प्रकार होंगी ।

आय	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की राशि तथा वस्त्र भत्ता
500 रुपये प्रति मास	पूरी छात्रवृत्ति तथा वस्त्र-भत्ता ।	1900 रुपये वार्षिक तथा वस्त्र भत्ते के लिये पहली बार 300 रुपये और बाद के वर्षों में 150 रुपये सालाना ।
501–750 प्रति मास	3/4 छात्रवृत्ति तथा वस्त्र-भत्ता ।	1425 रुपये वार्षिक तथा वस्त्र भत्ते के लिये 300 रुपये पहली बार और बाद के वर्षों में 150 रुपये सालाना ।
751–1000 रुपये प्रति मास	आधी छात्रवृत्ति	950 रुपये वार्षिक ।
1001–1200 प्रति मास	1/4 छात्रवृत्ति	475 रुपये वार्षिक

टिप्पणी :—इस योजना के लागू होने की तिथि से पहले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई छात्र वृत्तियां समाप्त हो जायेंगी ।

त्रिपुरा में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन

2453. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन के कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक दंगे होते रहे ;

(ख) यदि हां, तो उनका दमन करने के लिये तथा भविष्य में इस प्रकार के दंगों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) 13 से 20 फरवरी, 1965 के बीच उस राज्य में हाल में हिन्दी विरोधी दंगों के दौरान अगर ताला में हिन्दी जूनियर हाई स्कूल, त्रिपुरा में राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्रों तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची ; और

(घ) इस प्रकार इन संस्थाओं तथा लोगों को जो हानि हुई उसकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 13 से 20 फरवरी, 1965 के बीच विभिन्न स्थानों पर कई घटनाएं हुईं ।

(ख) अतिरिक्त पुलिस लगा कर और सभी सब-डिवीज़नों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागूकर के स्थिति पर एकदम काबू पा लिया गया । शिक्षा-संस्थाओं को भी कई दिन के लिये बंद कर दिया गया । अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है ।

(ग) इन संस्थाओं की हानि का लेखा इस प्रकार बताया जाता है :—

(i) अगरताला का हिन्दी जूनियर हाई स्कूल	13770 रुपये की क्षति का अनुमान है ।
(ii) त्रिपुरा में राष्ट्र भाषा प्रचार केन्द्र	34,800 रुपये की क्षति का अनुमान है।
(iii) अन्य सरकारी सम्पत्ति . .	4360 रुपये की क्षति का अनुमान है।

(घ) सम्बन्धित संस्थाओं को सहायता देने के प्रश्न पर त्रिपुरा प्रशासन विचार कर रहा है ।

आदिम जातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें

2454. **श्री हु० च० सोय** : क्या **शिक्षा मंत्री** 1 मई, 1962 के अतारांकित प्रश्न संख्या 444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आदिमजातीय भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं तथा उनके प्रकाशन की तारीखें क्या हैं ; और

(ख) बिहार सरकार ने उनमें से प्रत्येक आदिमजातीय भाषा के अध्ययन के लिये तथा मैथली और संस्कृत के अध्ययन के लिए कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी तथा भाषा के इन दो वर्गों के अध्ययन के लिये अन्य तरीकों से राज्य का संरक्षण कहां तक मिला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Hindi Teachers

2455. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri P. L. Barupal :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi teachers appointed on regular basis under Hindi Teaching Scheme who are not M.A. in Hindi ;

(b) the number of teachers appointed on *ad hoc* basis under the scheme who have been working for more than two years ;

(c) whether Government are satisfied with the work of these *ad hoc* teachers and if so, the criteria for the assessment of their work; and

(d) whether Government have considered the question of appointing these *ad hoc* teachers on a regular basis and if so, the conclusion arrived at ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) 59.

(b) 14.

(c) The work of such teachers is judged on the basis of confidential reports.

(d) *ad hoc* teachers are permitted to apply for posts of regular teachers and considered on merits along with other candidates.

Nava Nalanda Mahavihara

2456. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the decision taken in regard to the reorganisation of Nava Nalanda Mahavihara and the Huen Tsang Memorial Hall, Nalanda, the question of which was under consideration;

(b) the reasons for delay in case no decision has so far been taken; and

(c) when a decision would be taken in this connection ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) The recommendations of the Committee for the integrated development of the Nava Nalanda Mahavihara and the Huen Tsang Memorial Hall are still under consideration.

(b) The views of the Government of Bihar, who are also to share the anticipated expenditure, are not yet available.

(c) After the views of the Government of Bihar are available.

मद्रास में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2457. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री सेझियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-मार्च, 1965 में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत मद्रास राज्य में कुछ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनका वामपन्थी साम्यवादी गुट से सम्बन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन लोगों की गिरफ्तारियां इन्हें जन-सुरक्षा के लिए अहितकर ढंग से काम करने से रोकने और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से की गई थीं ।

बलीराजगढ़ में पुरातात्विक खुदाई

2458. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा (बिहार) जिले में एक प्राचीन स्थान, बलीराजगढ़ में खुदाई की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) अब तक वहां से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस स्थान पर भविष्य में खुदाई का क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुजरनवीस) : (क) 1962–63 और 1963–64 में इस स्थान की खुदाई की गई थी। लेकिन आजकल खुदाई का काम नहीं हो रहा है।

(ख) प्राप्त वस्तुओं से एक किलाबंद शहर के अस्तित्व और इस नगर में लगभग ईसा पूर्व छटी सदी के मध्य से लेकर 13वीं सदी ईसवी तक लगातार बस्ती के संकेत मिलते हैं।

(ग) फिलहाल निकट भविष्य में इस स्थान की खुदाई के काम को आग बढ़ाने की कोई योजना नहीं है ।

मद्रास में समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही

2459 { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आपात प्रैस सलाहकार समिति के एक शिष्टमंडल ने मद्रास राज्य के कुछ समाचार-पत्रों के विरुद्ध मद्रास सरकार द्वारा भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही पर विरोध प्रकट करने के लिये केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री से भेंट की ;

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास सरकार द्वारा की गई कार्यवाही गृह-कार्य मंत्रालय तथा प्रैस सलाहकार समिति के बीच हुए समझौते का प्रत्यक्ष रूप में उल्लंघन है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार की तरफ से दिये गये एक आश्वासन के अनुसार 10,000 से ऊपर प्रतियों वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही, केन्द्रीय आपात प्रैस सलाहकार समिति के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। उस समय राज्य सरकार ने ऐसा महसूस किया कि सामान्य स्थिति में तो स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार काम किया जा सकता था, किन्तु भाषा के प्रश्न पर हिंसक आन्दोलन के कारण सम्बन्धित समाचार-पत्रों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही का मनोवांछित परिणाम तभी हो सकता था जब वह तेजी से की जाती ।

(ग) इनमें से कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। फिर भी भारत सरकार मद्रास के मुख्य मंत्री से सम्पर्क रख रही है ताकि यदि हो सके तो किसी प्रकार राज्य सरकार की कार्यवाही के बारे में फैली हुई वर्तमान गलतफहमी दूर कर दी जाये ।

Oil Prospects in Jawalamukhi Area

2460. { **Shri Yudhvir Singh** :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the prospects of the availability of kerosene oil and petroleum have increased in the area of Jawalamukhi (Punjab) ; and

(b) if so, the steps to be taken in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) and (b). Kerosene is not available in the natural state and it has to be refined out of crude petroleum. Exploratory drilling for crude petroleum is still in progress.

दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना

2461. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विकास के लिये, जैसे सड़कें बनाने के लिये, सरकार ने जिन व्यक्तियों की भूमि/प्लाटों का अर्जन किया है ऐसे व्यक्तियों को उनके भूमि/भूखंडों के बदले में दिल्ली में निवास के लिये भूखंडों के नियतन के हेतु कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत नियतन के लिए कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन आवेदकों को किस स्थान पर और कब तक भूखंडों का नियतन करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा वितरण के लिये एक योजना बनाई जिसका ब्यौरा, दिल्ली में अर्जित भूमि के नियतन के बारे में श्री पी०जी० देब द्वारा नियम 197 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में, 23 मार्च, 1961 को सदन के सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया था। इस योजना के अनुसार रिहाइशी प्लाटों का नियतन अन्य बातों के साथ-साथ उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी जमीन दिल्ली के योजनानुकूल विकास के लिये अर्जित की गई है।

(ग) अब तक 3,499 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) ज़मीन के प्लाटों का नियतन, दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम तथा सहकारी भवन निर्माण संस्थाओं सभी के द्वारा विकसित इलाकों में किया जायगा। अर्जित की गई भूमि की स्थिति और मूल्य पर भी यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

2462. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 15 अगस्त, 1947 के बाद पुलिस ने प्रत्येक संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र में कुल कितनी बार गोली चलाई ;

(ख) कितने मामलों में जांच नहीं की गयी, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के अलग-अलग आंकड़े दिये जायें ;

(ग) कितने मामलों में दंडाधिकारियों द्वारा जांच कराई गई ;

(घ) कितने मामलों में अदालती जांच कराई गई ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित जांचों के क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). जो सूचना मांगी गई है वह संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4230/65]**

Assistance to Political Sufferers in Mysore

2463. **Shri Veerappa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of assistance granted to political sufferers in Mysore State during 1964-65; and

(b) the monthly amount of assistance granted to the said political sufferers and the number of such political sufferers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Rs. 18,550/-.

(b) A statement is attached. [*Placed in the Library See. No. L.T. 4231/75*]

Junior Technical Schools in Mysore

2464. **Shri Veerappa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number and location of Junior Technical Schools functioning at present in Mysore State;

(b) the number of such Schools proposed to be started in this State during 1965-66; and

(c) their proposed location ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Two—one at Hubli and the other at Gulbarga.

(b) Four.

(c) Mangalore, Bijapur, Bellary and Bhadravati.

Loan Scholarships to Mysore Students

2465. **Shri Veerappa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount paid to students in Mysore State under the National Loan Scholarships Scheme during 1964-65; and

(b) the amount out of this paid to students belonging to Scheduled Castes?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a) Rs. 9,05,650/.

(b) The awards under the Scheme are made strictly in order of merit and there is no reservation for any category of students. Information is, therefore, not readily available regarding the exact amount paid to the Scheduled Caste students.

उर्वरक कारखाना, कोचीन

2466. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ० ए० सी० टी० लिमिटेड ने कोचीन रिफायनरी के सहायक कारखाने के रूप में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) सरकार की आज्ञानुसार फर्टीलाइज़र एण्ड केमीकल्ज़ ट्रावनकोर लि० ने कोचीन में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की । यह रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्तावित कारखाने में एमोनियम फासफेट और यूरिया के उत्पादन का उक्त रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में दो वैकल्पिक प्रस्तावों अर्थात् 200,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमता का एक और 200,000 मीटरी टन अमोनिया की क्षमता की स्थापना के दूसरे प्रस्ताव की जांच की गई है।

डिगबोई तेल क्षेत्र

2467. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में 75 वर्ष पुराने डिगबोई तेल क्षेत्र से अधिकतम तेल प्राप्त करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). डिगबोई तेल क्षेत्र के प्राथमिक (primary) उत्पादन एवं गोण (secondary) प्राप्ति तरीकों को शामिल करते हुए आसाम तेल कम्पनी लि. के पास कुछ स्कीमें विचाराधीन हैं। इन स्कीमों में गैस लिफ्ट (Gas Lift), निर्माण विभंजन (Formation Fracturing), गैस अन्तक्षेप तथा तापीय बाढ़ (Gas Injection and Thermal Flood) आदि का आधुनिकीकरण (modernisation) शामिल है।

जम्मू और काश्मीर में बम विस्फोट

2468. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री गुलशन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० हु० भील :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में 6 अप्रैल, 1965 को एक बम बिस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस बिस्फोट में पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ था ;

(ग) क्या जांच करने का आदेश दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) विश्वास किया जाता है कि इसमें पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ था।

(ग) और (घ). जम्मू व काश्मीर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मैसूर में शरणार्थियों का पुनर्वास

2469. { श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती जोहराबेन चावडा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कुछ बन-भूमि देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कितने परिवारों के बसाये जाने की आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). मैसूर राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को उस राज्य में बसाने के लिए अभी तक किसी भी वन-भूमि की पेशकश नहीं की है। राज्य सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि मद्रा तथा धर्मा परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत वन-भूमि की प्राप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विशिष्ट निर्णय केवल उस समय ही लिया जायेगा जब कि भूमि प्राप्ति की सीमा तथा भूमि के प्रयोजन की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर लिया जाता है।

उर्वरक उद्योग

2470. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फासफेट मिट्टी तथा गंधक की भारी कमी के कारण उर्वरक उद्योग को उत्पादन में काफी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). हाल में ही फासफेट मिट्टी और गंधक की प्राप्ति में कठिनाई हुई है किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि इस समय उर्वरक उद्योग को इस कारण उत्पादन में कठिनाई हो रही है। इन कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई के लिए हर सम्भव साधनों से कदम उठाये जा रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

युद्ध-विराम रेखा की दूसरी ओर से पंजाब के मुख्य मंत्री तथा उनके साथियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"17 अप्रैल, 1965 को जम्मू के छम्ब क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा की दूसरी ओर से पंजाब के मुख्य मंत्री तथा उनके साथियों पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार।"

697(Ai)LS—4.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा मंत्री (श्री अ० म० थामस): 16 तथा 17 अप्रैल, 1965 को युद्ध-विराम रेखा पर पंजाब सशस्त्र पुलिस की चौकियों का निरीक्षण करने की पंजाब के मुख्य मंत्री ने योजना बनाई। 17 अप्रैल को प्रातः 8-35 बजे कुछ अग्रिम चौकियों का निरीक्षण करने के लिए वह अखनूर से चले। तीन चौकियों का निरीक्षण करने के बाद वह बुरेजाल चौकी पर गये। उनके साथ पंजाब पुलिस के डी० आई० जी०, ब्रिगेड कमाण्डर तथा अन्य सैनिक और पुलिस अधिकारी थे। यह पार्टी जीपों पर यात्रा कर रही थी।

बुरेजाल की चौकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा युद्ध-विराम रेखा के मिलने के स्थान पर छम्ब के दक्षिण-पश्चिम 5 मील की दूरी पर स्थित है। इस चौकी पर मुख्य मंत्री ने ज्यों ही एक पेड़ के नीचे एकत्रित हुए जवानों के सामने भाषण देना आरम्भ किया, युद्ध-विराम रेखा के पार पाकिस्तानी सेना ने मध्यम मशीनगनों द्वारा ताहू स्थित अपनी चौकी से गोली चलाना आरम्भ कर दिया। मुख्य मंत्री को शीघ्र ही एक बंकर में ले जाया गया और वह कुछ मिनट तक वहां रहे। बाद में जब वह बाहर आये और वहां से चलना ही चाहते थे, कि फिर लगातार गोलियों की बौछार हुई। सौभाग्यवश मुख्य मंत्री को कोई चोट नहीं आई परन्तु एक भारतीय सिपाही जो मुख्य मंत्री के मार्गदर्शक के रूप में था, के हाथ में गोली लगी।

जो गोलियां इस पार्टी पर चलाई गई हैं, उनमें से एक गोली मुख्य मंत्री ने ले ली है और उसकी जांच हो रही है।

कल पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र इस घटना के बारे में भेजा गया है, जो भारतीय संघ के एक प्रदेश की सरकार के मुख्य पर छिप कर तथा जान-बूझ कर गोली चलाने के अभिप्राय से की गई जान पड़ती है।

श्री प्र० के० देव : जब कि मैं भारतीय सरकार के इस अस्वीकृत विरोध-पत्र का, कि इस प्रकार बिना किसी कारण गोली चलाये जाने से सभ्य व्यवहार का उल्लंघन हुआ है पूरा-पूरा समर्थन करता हूं, और मुझे खुशी है कि पंजाब के मुख्य मंत्री सकुशल वापिस आ गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी सीमा पर ये गतिविधियां और विशेषकर कंजरकोट पर अवैध कब्जा तथा जम्मू और दूसरे स्थानों पर गोली चलाया जाना, ये सब पेकिंग-पिंडी सांठगांठ की निकट भविष्य में पूर्वी क्षेत्र में कुछ गम्भीर घटनायें करने की चालें नहीं हैं ?

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि मैं इस से अधिक और कुछ नहीं कह सकता।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या आप इस घटना को और अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते ?

श्री प्र० के० देव : मैं उत्तर नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि माननीय सदस्य जितनी भी घटनायें हुई हैं, इन से अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

श्री प्र० क० देव : प्रश्न यह है कि क्या वह हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि यदि पूर्वी, पश्चिमी अथवा उत्तरी क्षेत्र में कोई आपात की स्थिति पैदा हुई, तो सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने का प्रश्न, हमारे समक्ष जो मामला है वहीं तक सीमित रहना चाहिये। हमें इसे व्यापक नहीं बनाना चाहिये।

श्री रगा : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है, क्या सरकार इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती ? निश्चय ही वे यह नहीं कह सका कि मुख्य मंत्री पर यह आक्रमण एक साधारण घटना है और इस सम्बन्ध में केवल एक विरोध-पत्र भेजना ही उचित है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जाना चाहिये। निश्चय ही उनसे यह आशा की जाती है कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें।

श्री अ० म० थामस : इस घटना से हम काफी चिन्तित हुये हैं और यही कारण है कि हम ने पाकिस्तान को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है।'

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol, Bagh) : The hon. Minister has just now observed in his statement that the bullets which were fired on him and which he got collected have been sent for examination. May I know whether the result of this examination will be conveyed to the House?

श्री अ० म० थामस : मुख्य मंत्री ने यह गोली गृह-कार्य मंत्री को भेज दी है। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में यह कहा है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस गोली का परीक्षण मंत्रि-मण्डल द्वारा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस परीक्षण का परिणाम सभा को बताया जायेगा।

श्री अ० म० थामस : हां, श्रीमान्।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : सरकार ने गोली चलाये जाने की इस घटना के बारे में विरोध किया था और वह विरोध-पत्र वापस कर दिया गया है। मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में जब किसी विरोध-पत्र को इस प्रकार लौटाया जाता है, तो इसका अर्थ यह समझा जाता है कि दूसरी सरकार उसका उत्तर नहीं देना चाहती।

श्री सोलंकी (केरा) : मुख्य मंत्री के इस दौरे की योजना असैनिक अधिकारियों ने बनाई थी अथवा सैनिक अधिकारियों ने ?

श्री अ० म० थामस : उन्होंने हमें सूचना दी थी और ऐसे दौरों में जो भय रहता है, उससे हमने उन्हें अवगत कराया था।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : हमारी सीमाओं पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं और हम विरोध-पत्र भेजते हैं जिनके उत्तर में हमारा अपमान किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या निश्चयात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव कर रही है कि हम पाकिस्तान सरकार को यह समझायें कि हम भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी-पूरी ताकत रखते हैं ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में, जैसा कि पहले भी कई बार सभा में कहा गया है, हम स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। उस क्षेत्र में, युद्ध-विराम रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, दोनों में ही हमारी पर्याप्त सेनायें हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): At the time when Pakistani police opened fire at the Chief Minister did our jawans open fire on them or not? May I also know whether the Government was informed by the Intelligence people that the Pakistani; had an information about the Chief Minister's tour and that they would open fire at him?

श्री अ० म० थामस : पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी पुलिस ने नहीं परन्तु पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई। निःसंदेह गोली का जवाब गोली से दिया गया। हमारा अनुमान है कि पाकिस्तानी सेना को इस दौरे की सूचना थी। 16 अप्रैल को पंजाब के मुख्य मंत्री ने जम्मू क्षेत्र का दौरा किया था और इसका काफी प्रचार हुआ था और इससे उनको इस दौरे का पता लग सकता था।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या पंजाब के मुख्य मंत्री वहां पूर्व सूचना दे कर गये थे; यदि हां, तो इस सूचना के कितने दिनों बाद यह घटना हुई?

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही कहा है कि वह पूर्व-सूचना देकर वहां गये और जब वह उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, वहां ब्रिगेड कमांडर भी मौजूद थे।

Shri Yashpal Singh (Kairana): May I know whether the Government have enquired that the Pakistanis opened fire knowing the fact that the Chief Minister was present there or because of the reason that no Indian national had reached that spot since very long time and they took exception to any Indian national's arrival there. May I also know whether they have formed a habit to shoot at anybody who reaches there. What was their intention behind opening this fire?

श्री अ० म० थामस : जिन परिस्थितियों में गोली चलाई गई है, उनसे यह ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि गोली चलाये जाने का कारण यह था कि मुख्य मंत्री वहां मौजूद थे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रांसमिटर हैं और वे पाकिस्तान को गुप्त रूप से हमारे लोगों की आने-जाने की सूचना, जिसमें कि मुख्य मंत्री का दौरा भी सम्मिलित है, देते रहते हैं और अब जब कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हमारा विरोध-पत्र वापस कर दिया है और दिल्ली में कुछ राजनयिक मिशन, विशेषकर चीन तथा पाकिस्तान, बड़ा आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारी सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव कर रही है कि दिल्ली में ये राजनयिक मिशन बिल्कुल राजनयिक परम्परा तथा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के अनुसार काम करें और क्या वे ट्रांसमिटर पकड़े गये हैं अथवा नहीं?

श्री अ० म० थामस : हमारी सीमाओं पर चीनी-पाकिस्तानी कार्यवाहियों से हम सचमुच चिन्तित हैं और हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, यह क्या उत्तर है? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि कुछ व्यक्तियों ने गुप्त रूप से ट्रांसमीटर रखे हैं ।

श्री अ० म० थामस : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर चाहता हूं और वह इसमें असफल रहे हैं। यथार्थ में गृह-कार्य मंत्री को हमें यह उत्तर देना चाहिये था । इसके साथ-साथ मैंने दिल्ली में इन मिशनों के अन्तर के बारे में भी पूछा था। प्रधान मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : क्यों नहीं ? सरकार की नीति से देश विनाश की ओर जा रहा है। ये लोक राजनयिक सौजन्य भी नहीं दिखाते । देश का नाश हो रहा है। सरकार की नीति से दिन-प्रति-दिन देश का नाश हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस प्रश्न से इस सभा का भी नाश हो रहा है ।

श्री हेम बरुआ : उनके पास यह सूचना नहीं है कि गुप्त रूप से ट्रांसमिटर रखे गये हैं अथवा नहीं। ये सुरक्षा सम्बन्धी कोई उपाय नहीं करते। ये राजनयिक मिशनों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार को भी सहन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह दुःख का विषय है कि मेरे द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी वह इस प्रकार बोलते जायें, और जब वह चरम सीमा तक पहुंचते हैं, तो नियन्त्रण से बाहर हो जाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं आप से यह नम्र निवेदन कर सकता हूं कि मैं इस स्थिति की गम्भीरता को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं ?

श्री हेम बरुआ : नहीं, श्रीमान् । परन्तु जब आप उन्हें इस प्रकार संरक्षण देते हैं तो मुझे दुःख होता है । इस नीति के कारण हमें बहुत दुःख होता है ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे खेद है, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल श्री बरुआ को ही स्थिति की गम्भीरता का पता है ।

श्री हेम बरुआ : यह समझने के लिए मैं आपके साथ सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं । आईये ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में यह इतना अधिक उत्तेजित न हो, परन्तु जहां तक ट्रांसमीटर का सम्बन्ध है, निश्चय ही वहां कोई ट्रांसमीटर नहीं हो सकता और यदि कोई स्थापित किया गया तो हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम इसका पता लगायें तथा इसे बन्द करें। परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है वहां ऐसा कोई ट्रांसमीटर कार्य नहीं कर रहा है । **(अन्तर्बाधा)** ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Shastri Ji what is this "trace it out" ?

श्री हेम बरुआ : राजनयिक मिशनों के बारे में भी उत्तर दिया जाये।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : चीनी दूतावास के बारे में मैंने कल कुछ कहा था। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, निस्संदेह यह उनके लिये है कि वे कैसा व्यवहार करें; इस मामले में उन्होंने इस विशेष प्रकार का व्यवहार किया है। हम इस बारे में तत्काल कोई कार्यवाही नहीं कर सकते

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने अतिदुष्ट व्यवहार किया है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। किसी बात की कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ...... परन्तु इसका विरोध करना (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : मेरे संतोष की भी कुछ सीमा है, मैंने बहुत अधिक संतोष किया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : श्रीहेम बरुआ दीर्घाओं (गैलरीज) में बैठे हुए दर्शकों को सुना रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : यह बड़ी अशोभनीय बात कही है। दीर्घाओं को सुनाने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं कहता हूं, कि हजार बार धिक्कार है। उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है। मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं दीर्घाओं में बैठे लोगों को सुनाऊं ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : These words should be withdrawn. Something is being alleged to us. We cannot tolerate this.

श्री हेम बरुआ : यह सर्वथा गलत है। (**अन्तर्बाधा**) आप भले ही उत्तरदायित्वपूर्वक काम करें। परन्तु फिर भी देश को खतरा है। उन्हें यह क्यों कहना चाहिये कि मैं दीर्घाओं को सुना रहा हूं। मैं कहता हूं, यह बात बड़ी निन्दनीय और अशोभनीय बात कही है। मैं इस पर लानत भेजता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत: माननीय सदस्य श्री च० का० भट्टाचार्य ने श्री हेम बरुआ पर लांछन लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूं परन्तु वह मेरी ओर ध्यान नहीं देते और यदि वह इसी प्रकार चलते रहें तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

श्री हेम बरुआ : मैं विरोध में सभा से बाहर जाता हूं। आप हमें संरक्षण नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहता हूं।

श्री हेम बरुआ : आपको मुझे बाहर जाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सभा से बाहर जा रहा हूं। आप मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहें ?

अध्यक्ष महोदय : अब इनका व्यवहार पीठासीन अधिकारी के प्रति बहुत आपत्तिजनक है और मुझे इस सम्बन्ध में अवश्य ही उनको नाम लेकर बुलाना होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके निर्णय का पूरा पूरा आदर करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आपका यह विचार है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिये उन्हें आज के दिन के लिये सभा से चले जाना चाहिये, तो उन्हें श्री च० का० भट्टाचार्य ने उनपर लांछन लगा कर भड़काया था । किसी सदस्य के लिये चाहे वह सभा की इस ओर से सम्बन्ध रखता हो अथवा उस ओर से, यह कहना बहुत गलत है कि वह दीर्घाओं को सुना रहा है । हालांकि मैं उनको दिये गये दण्ड से सम्मानपूर्वक असहमत हूं । वह पहले ही सभा से उठ कर चले गये हैं, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन जैसा एक सदस्य जो सभा की कार्यवाही में सक्रिय तौर पर भाग लेता हो, उसके बारे में आपको कुछ अधिक विचार करना चाहिये । आप और हम सब में सम्बन्ध सदैव अच्छे रहे हैं और मुझे आशा है कि इस प्रश्न पर कड़ी कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस से पूर्व की सदस्य अपने विचार प्रकट करें मैं सभा के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं । मैं उन्हें बार-बार चुप रहने के लिये कह रहा था; मैं ने उन्हें बताया कि मैं ने काफी संतोष कर लिया है । जितना संतोष मुझ से हो सकता था मैंने किया परन्तु मैं सदस्य को चुप न कर सका । जब तक कि बाहर जाते समय उन्होंने पीठासीन अधिकारी के प्रति अल्पकारी वाक्य नहीं कहे, मैं ने उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । पहले श्री मधुलिमये के मामले में ऐसा हुआ; हम ने उन के विरुद्ध इसलिये कार्यवाही की क्योंकि जब उन्हें सभा से बाहर जाने के लिये कहा गया, उन्होंने पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कुछ कहा ।

श्री बड़े (खारगोन): श्री हेम बरुआ ने ऐसी कोई बात नहीं कही . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह समझते हों कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह अध्यक्षपीठ के प्रति अल्पकारी नहीं है, तो मैं उन से सहमत नहीं हूं ।

Shri Bade : Mr. Speaker what happened was] that Shri Bhattacharya said, "He is playing to the galleries." It is not objectionable. Shri Hem Barua was provoked by his remark. After this Shri Barua said "I am walking out in protest." Upon this you said : "I also ask to go out." Then he said; "You need not ask me to go out. I am walking out myself." He was in his temper and so he said like this.

The background is that we have our own views regarding China and Pakistan. It is in this background that he used these words and it was construed that he was "playing to the galleries." This is wrong. Therefore this punishment is not justified.

अध्यक्ष महोदय : जब किसी एक ओर कुछ बात हो जाती है और सदस्य दु:ख अनुभव करते हैं—चाहे वह एक सदस्य हो, विरोधी दल हो अथवा सरकार हो—अध्यक्ष से कहा जाता है कि इस सदस्य या दल को संरक्षण दिया जाये । परन्तु मुझे खेद है मुझे कभी कभी दु:ख होता है कि कि जब मैं कठिनाई में होता हूं, मुझे कोई संरक्षण नहीं मिलता ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई संरक्षण नहीं मिलता । मैं उन्हें बार-बार चेतावनी देता रहा । उस समय मैं कुछ भी न कर सका क्योंकि वह इतने उत्तेजित हो गये कि वह कुछ सुनते ही नहीं थे । मुझे मालूम था कि वह इस लिये विशेष मामले में उत्तेजित थे परन्तु सभी उत्तेजित होते हैं । कुछ सीमा होनी चाहिये जहां हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकें । मैं ने उन्हें कितनी बार कहा ? यह पहला अवसर नहीं था । जब वह बाहर जाते हैं तो अध्यक्ष-पीठ को इस प्रकार चुनौती देते हैं कि मैं समझता हूं कि मेरा अपमान हुआ है ।

सदस्य का निलम्बन

SUSPENSION OF MEMBER

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): इस बात की दृष्टि से कि श्री हेम बरुआ ने सभा से बाहर जाते हुये ऐसे वाक्य कहे हैं जो पीठासीन अधिकारी के प्रति असम्मानजनक थे, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं ने कहा था कि उन की बात अध्यक्ष-पीठ के प्रति अप्रतिष्ठाजनक है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने कहा था ।"आप मुझे बाहर जाने को कहने का कष्ट कर रहे हैं मैं तो स्वयं बाहर जा रहा हूं " ।

Shri Ram Sewak Yadav : Before this motion is put to the vote of the House........

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के सामने रखूंगा ।

It cannot be discussed. When a motion has been moved I have to put it.

Shri Ram Sewak Yadav : An amendment can be accepted.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a punishment for long period. He may be expelled for not more than three days.

Mr. Speaker : I have to put the motion which has been moved.

Shri Ram Sewak Yadav: An amendment can be moved to that motion.

Mr. Speaker : We have to see whether this motion is adopted or negatived.

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप ने अभी कहा है संसद्-कार्य मंत्री के प्रस्ताव के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस नियम के अधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य का प्रस्ताव जब आता है तो अध्यक्ष को तुरन्त ही वह सभा में रखना होता है, अतः उस प्रस्ताव के संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते । अब प्रश्न यह है :—

"कि श्री हेम बरुआ को, जो कि इस सभा के सदस्य और जिन्हें अध्यक्ष ने नाम लेकर बुलाया है, एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 193; विपक्ष में में 42

Ayes 193; Noes 42

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, I move that Shri C.K. Bhattacharya be suspended form the service of the House for one week.

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि इस प्रकार का प्रस्ताव जब तक प्रस्तुत नहीं हो सकता जब तक अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेकर न बुलायें । अतः यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा आप से निवेदन है कि आप उनका नाम ले कर बुलायें ।

श्री रंगा : आप कह सकते हैं कि यह कहना असंसदीय है अतः उन्हें निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि माननीय सदस्यों के लिए यह ठीक नहीं है कि वे दूसरों के इरादों पर शक करें और लांछन लगाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): एक बार पहले श्री अजीत प्रसाद जैन ने जब वह पुनर्वास मंत्री थे ऐसी ही बात कही थी और भूतपूर्व अध्यक्ष के कहने पर वे शब्द वापिस ले लिये गये थे । अब श्री भट्टाचार्य खेद प्रकट करें और अपने शब्द वापिस ले लें ।

श्री रंगा (चित्तूर): यदि आप हमारा सहयोग चाहते हैं और यदि सत्ताधारी पार्टी हमारा सहयोग चाहती है तो उचित होगा यदि भट्टाचार्य अपने ये शब्द ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं श्री च० का० भट्टाचार्य से कहूंगा कि इसके लिये उनको खेद प्रकट करना चाहिये और वे शब्द वापिस लें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : श्रीमान मैं सादर कहता हूं और आप के कहने के अनुसार वापिस लेता हूं । मेरा आप से अनुरोध है कि आप पहले की घटनाओं के बारे में देख लें ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I rise on a point of order. The remarks of Shri C.K.Bhattacharya were not good taste. I feel that rulesin regard to question hour, calling attention notices and adjourment motions are not good or they are not properly emforced. I had suggested that some time may

be allotted for these items, so that views may be put forward. No action has been taken on that.

Mr Speaker : You have been saying that the work is not being conducted in a proper way here. Rules should be changed.

Dr. Ram Manohar Lohia : You can enforce rules in another way.

श्री अल्वारेस : श्री भट्टाचार्य की बात पर यह सारी घटना हुई है । और श्री हेम बरुआ को निलम्बित किया गया है । अब वह बात वापिस ले ली गई है । अब यह उचित होगा कि श्री हेम बरुआ के निलम्बन पर फिर से विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह अब इस प्रकार नहीं हो सकता ।

अविलम्नीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी ? सीमावर्ती लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री अ० म० थामस : मुख्य मंत्री के साथ सुरक्षा व्यवस्था थी । परन्तु यह गोलबारी बिना किसी कारण के थी । सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनायें हैं और पंजाब की सशस्त्र पुलिस भी है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री रामसेवक यादव के विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव को लेंगे ।

Shri Gulshan : It is matter concerning Punjab. My name is in the notice. I may be given an opportunity to put question.

Mr. Speaker : It is correct that it concerns Punjab. You will have other occasions for this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has been practice that all members whose names are there. are given opportunity to put question.

Mr. Speaker : I have said it so many times that when there is a large number of members it is not necessary that all should be called. I do not have time now for that.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): Mr. Speaker, on 19th a discussion took place on the statement of spokesman of Bharat Sewak Samaj which was made on the report of Public Accounts Committee. It was held by you as

breach of privilege of the House. Thereafter the matter was dropped as the spokesman *i.e.* Shri Chandiwala had submitted a written apology. At that time Shri J.B. Kripalani had said that the Home Minister Shri Nanda who is connected with Bharat Sewak Samaj, had told the Chairman of the Public Accounts Committee that the they have done the worse. This was said in the presence of about 10 members of Parliament. The Home Minister had said that the report of the commitee had harmed congress Party. Sir, Public Accounts Committee is an important committee of this House. It should function without any pressure. In my opinion Shri Nanda has committed breach of privilege of this House. I have consulted May's Parliamentary Practice in this connection. I say that a breach of privilege has been committed.

श्री खाडिलकर (खेड़): मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो सदस्यों की निजी बात चीत जो बाहर हुई हो यहां पर विशेषाधिकार का विषय बन सकती है ? इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उस पर बाहर भी चर्चा होती है । इस पर प्रतिबन्ध लगाना लोकतंत्र के विरुद्ध होगा। मैं ने भी मेज पार्लियामेंटरी प्रक्टिस का अध्ययन किया है । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निजी बातचीत विशेषाधिकार का विषय नहीं बन सकती ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है ।

श्री खाडिलकर : यदि इस सभा का कोई सदस्य वाद-विवाद के दौरान कोई ऐसी बात कहता है जो अपमानजनक है तो अध्यक्ष महोदय उसको अवश्य रोक सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात किसी तीसरे सदस्य द्वारा बातचीत सुना जाना है । यदि किसी उद्देश्य का आरोप न लगाया गया हो तो यह बातचीत विशेषाधिकार के उल्लंघन का विषय बन नहीं सकती । इस सम्बन्ध में आपका निर्णय जानने की मैं प्रार्थना करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो मुझे इस बात का पता लगाना है कि क्या यह वास्तव में निजी बातचीत थी । श्री नन्दा ने मुझे एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि "लोक-सभा के कक्ष में मेरी श्री मुरारका से बिल्कुल निजी बातचीत हुई है । मेरा यह अभिप्राय कभी नहीं हो सकता था कि लोक लेखा समिति या उस के सभापति का निरादर करने वाली कोई बात कहता । यदि कोई विपरीत धारणा बन गई हो तो मुझे उसका खेद है ।"

श्री मुरारका (झुंनझुनू): जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि बातचीत सभा के कक्ष में ही हुई है । बातचीत के दौरान एक बार माननीय मंत्री ने मुझे अवश्य यह कहा था कि यह बातचीत बिल्कुल निजी है । **(अन्तर्बाधायें)**

श्री रंगा (चित्तूर): इस बात से सम्बन्धित दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस बात का खंडन नहीं किया है जो आचार्य कृपालानी ने कही थी । इस लिए हमें इसे सच मान लेना चाहिये ।

श्री नन्दा का सरकार में दूसरा स्थान है । वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा भारत-सेवक समाज के संस्थापक अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य से वह संदिग्ध लोगों के चक्र में आ गये हैं। उन्होंने भारत सेवक समाज को व्यापार में भाग लेने की अनुमति दी । उन्होंने केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग से भी अधिक अच्छा काम करना चाहा और भ्रष्टाचार तथा अपव्यय

[श्री रंगा]

को रोकना चाहा । वह इन सभी बातों में असफल हुए हैं। जैसा कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है ।

श्री नन्दा के लिये यह ठीक नहीं है कि वह लोक लेखा समिति के सभापति से इस प्रकार व्यवहार करते, चाहे वह बातचीत व्यक्तिगत रूप से ही होती।

कई अवसरों पर इस सभा में कई सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की है कि विरोधी दल का कोई प्रतिनिधि समिति का सभापति नियुक्त किया जाये। यह स्थिति इस कारण पैदा हुई है कि सभापति की नियुक्ति इस प्रकार की गई है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न तब भी उठता है जब इस सभा के किसी साधारण सदस्य का अपमान किया गया हो परन्तु श्री मुरारका तो समिति के रूप में छोटे सदन के सभापति थे। यह प्रतिवेदन एक पक्षीय नहीं है और महालेखापरीक्षक की सिफारिशों पर आधारित है । लोक लेखा समिति ने यह सिफारिश एक मत से की है । जैसा कि आप ने पहले कहा था, यदि भारत सेवक समाज को प्रतिवेदन में की गई किसी बात पर आपत्ति थी तो वह अपना स्पष्टीकरण तथा उत्तर भेज सकता था ।

इस के यावजूद वह इस सारे मामले में कोई छोटा मार्ग अपनाना चाहते थे । यदि वह पहले की भांति श्रम मंत्री या किसी अन्य मंत्रालय के मंत्री होते तो सम्भवतः उन्होंने ऐसी गलती न की होती ।

मैं चाहता हूं कि श्री नन्दा लोक लेखा समिति के सभापति के साथ इस प्रकार निजी रूप में व्यवहार करने के लिये सभा से पूरी तरह क्षमा मांगें ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): माननीय सदस्यों, श्री यादव, श्री पटनायक और श्री बागड़ी द्वारा उठाये गये मामले को इस प्रकार नहीं टाला जा सकता । इस मामले से यह मूल प्रश्न उठता है कि सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है क्योंकि लोक लेखा समिति सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी प्रतिष्ठा समूचे लोक सभा की प्रतिष्ठा के समान है ।

मैं सभा का तथा श्री नन्दा का ध्यान 'मेज की' 'पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' की ओर दिलाता हूं जिस में लिखा है कि सभा कक्ष में किये गये दुर्व्यवहार अर्थात् अपमानजनक शब्दों तथा धमकियों पर सभा अपमान के रूप में चर्चा उठा सकती है ।

यदि गृह-कार्य मंत्री का अभिप्राय निजी बातचीत का था तो वह श्री मुरारका को अपने निवास स्थान तथा संसद भवन में अपने कक्ष में आमंत्रित कर सकते थे । यह निजी बातचीत नहीं थीं क्योंकि वहां कई सदस्य थे। श्री नन्दा ने कोई धीमी आवाज में नहीं कहा । वह इतनी ऊंची आवाज में कह रहे थे कि 10 अथवा 15 गज तक सुना जा सकता था । जब हम में से किसी ने आप से पूछा था तो आप ने कहा था कि सभा कक्ष सभा के भाग हैं।

मैं इस बात को नहीं मानता कि यह निजी बातचीत थी । क्या सभा कक्ष इस के लिए उचित स्थान था? क्या वह समय इस बातचीत के लिये उचित था ? इसलिए मेरा

निवेदन है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमान का अपराध किया जा चुका है। गृह-मंत्री का पत्र में यह लिखना काफी नहीं है कि, "यदि ऐसी धारणा उत्पन्न हुई है तो मुझे खेद है।" उन्हें सभा में बिना शर्त के क्षमा मांगनी चाहिये।

Shri Bade (Khargone): This is an important matter. Can a talk regarding the criticism of Bharat Sewak Samaj by the Public Accounts Committee be considered to be a private talk? Can a talk, which took place in front of 10 or 12 persons, be considered as a private talk? It is alleged that during the talk it was said. "you have killed the Bharat Sewak Samaj." and "you are a congressman." It amounts to bringing indirect pressure on the Chairman and members of the Public Accounts Committee and it also means that anything affecting the Home Minister should be carefully considered. In that case it cannot be a balanced report. It has been written in *May's Parliamentary Practice* that it is contempt of Parliament to put pressure on a Member of Parliament when he asks any question. Shri Morarka should clearly state what had actually been said. It was not a private talk but it was bringing pressure on the Members and Chairman of the Public Accounts Committee not to do their duty.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Sir, I want to make it clear that the Members on this side of the House are as firm regarding the question of breach of Privilege as the Members of Opposition but there has been no confirmation of what was alleged to have been said in the Lobby. Members from all sections of the House say in the Lobby many things which could not be freely said in the House. The result of accepting this contention will be that your attention will be drawn to not only whatever is said by the members of Congress party but also by the members of other parties. If what was said in the Lobbies could be raised as a matter of breach of privilege, it would create a bad precedent. It would also make it impossible for any member to talk anything in the Lobby.

As members of the Congresss, we can talk to Shri Morarka, who is a congressman, and no question of privilege can be raised thereon.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप से कहा था, जहां तक सभा के कक्षों का सम्बन्ध है, हम ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं जो हम नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही का भाग बनें परन्तु हमें इसके साथ यह भी देखना चाहिये कि इसका सम्बन्ध किन लोगों से है। एक ओर गृह-कार्य मंत्री हैं और दूसरी ओर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति इस सभा की सब से महत्वपूर्ण समिति है। यह निन्दनीय बात है कि श्री नन्दा ने मंत्री होते हुये श्री मुरारका से ऐसी बात कही जिसका अर्थ यह निकल सके कि उन पर दबाव डाला जा रहा है जो कि किसी ऐसे प्रतिवेदन से सम्बन्धित है जिसे श्री मुरारका ने प्रस्तुत किया था।

यदि श्री नन्दा मंत्री न होते और उनके पास गृह-मंत्री की असीम शक्ति न होती तो इसे विशेषाधिकार का मामला न समझा जाता। उन्होंने जो पत्र लिखा है वह स्पष्ट है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिये क्योंकि हम पहले भी क्षमा मांगने की प्रार्थना को स्वीकार करते रहे हैं। परन्तु यदि हम यह स्वीकार न करें तो यह विशेषाधिकार का मामला है ही। हम यह बात स्वीकार नहीं करते कि कोई मंत्री इस सभा के किसी सदस्य पर, चाहे वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो या किसी अन्य समिति का, किसी प्रकार का दबाव निजी बातचीत में भी डाल सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Before arriving at any decision we should ascertain whether the words alleged to have been said by the Minister of Home Affairs were actually said or not. We want Shri Nanda or Shri Morarka to tell what was actually said.

Mr. Speaker : If it was a private talk, perhaps I cannot inquire into it.Shri Nanda has given in writing that it was a private conversation and Shri Morarka has also affirmed it.

Shri Prakash Vir Shastri : What for did the Minister of Home Affairs express his regret in a letter to the Speaker ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : On a point of order, Sir. When the question of contempt arises, will the action be taken on the report of the person whose contempt was alleged to have been committed or on the report of any other person who has overheard the talk ? It is not proper to overhear a private talk and if it has been heard it should not be taken notice of ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It is not the question of difference between a private and a public talk. It is rather a question of difference between effective and ineffective coercion. If Shri Kripalani or Shri Morarka intimidates Shri Shastri, it would not be an effective intimidation but if Shri Nanda threatens Shri Morarka it would be effective intimidation. Shri Nanda, as Minister of Home Affairs wields great power and such a person should use restraint. He should offer unqualified apology to the House. He should be serious in this matter.

I would like to raise another question. State finances are being used not only for personal and family purposes but also to strengthen the party. Shri Nanda and Shri Shastri should consider it as a sin.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि गृह-कार्य मंत्री तथा लोक -लेखा समिति के अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । केवल यही तर्क दिया गया है कि यह इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है क्योंकि बातचीत सभा कक्ष में हुई है अथवा यह निजी बातचीत थी । यह तर्क गलत है । संसदीय अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का बिना रुकावट प्रयोग करने में बाधा डाली गई है और इस प्रकार विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है ।

इस से यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल के सदस्यों में से नहीं बनाना चाहिये जैसा कि इंगलैंड और अमरीका में होता है ?

गृह-कार्य मंत्री के पत्र की दृष्टि से इस महान सभा को यह मामला समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): विरोधी दल के सदस्यों ने इस पर आग्रह किया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, चाहे यह निजि बातचीत हो । उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि क्योंकि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं इसलिए

उन पर दबाव डाले जाने की सम्भावना अधिक है परन्तु वे भूल जाते हैं कि विरोधी दल के सदस्य पर भी दबाव डाला जा सकता है । प्रश्न यह भी है कि बातचीत निजी रूप से की गई थी या किसी और रूप से । इसे दबाव डाला जाना कैसे माना जा सकता है जब कि बातचीत का पहला वाक्य यह था कि यह बातचीत निजी है । लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने स्वयं यह बात मानी है ।

Shri Maurya (Aligarh) : Any Conversation between the Minister of Home Affairs and the Chairman of the P.A.C. amounted to a breach of privilege if it suppressed the truth even though it was a private talk.

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : श्रीमन्, मैंने यह मामला इसलिए उठाया है कि यह सभा की एक समिति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । श्री नन्दा मेरे पुराने मित्र हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, परन्तु मैं इसे एक सत्ताधारी व्यक्ति की ओर से धमकी देने की एक चाल समझता हूं । जैसा कि डा० लोहिया ने कहा है सभा के कक्ष में साधारण लोगों द्वारा साधारण बात चीत का कोई महत्व नहीं है । जब एक सत्ताधारी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करता है जिस पर संसद् की एक समिति का भार है तो मेरे विचार में मंत्री महोदय को स्थिति का ध्यान रखना चाहिये था ।

जहां तक इस के निजी बातचीत होने की बात है आप तो जानते हैं क्योंकि आप उच्चन्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और आप जानते हैं कि यदि किसी को बदनाम करने के लिए कोई वक्तव्य दिया जाये और यदि वहां 8 या 10 व्यक्ति खड़े हों तो क्या आप इसे निजी रूप वाला कहेंगे ? वह स्थान गुप्त नहीं था । बातचीत भी गुप्त नहीं थी । वैसे मैंने तो उतनी कठोर बाणी में नहीं कहा है जितनी में कि यह बात वास्तव में हुई थी ।

कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बात बात में मेरी पत्नि का जिक्र करते हैं । आखिर मज़ाक की भी कोई सीमा होती है । मैं इन कांग्रेसियों के बारे में शर्मिन्दा हूं । यदि कोई समझता है कि कांग्रेस का कोई मुझ से अधिक सहायक है तो मैं कहूंगा कि वह भ्रम में है । कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में देश की स्वाधीनता के लिये लड़ी और इसे उस मर्यादा के अनुसार चलना चाहिये। मुझे कांग्रेस वालों से कोई द्वेष नहीं है ।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्ताव की भाषा पढ़ें तो हमें पता चल जावेगा कि हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं । इस प्रस्ताव का आधार दो बातों पर है । एक यह कि श्री कृपालानी ने कहा है कि श्री नन्दा ने श्री मुरारका से बात करते हुए, "पक्षपात पूर्ण" शब्द का प्रयोग किया । इस शब्द को यहां इन्कार भी नहीं किया गया । और इसलिये यह समझा जावे कि आरोप सिद्ध हो गया और इसलिये यह इस सदन की मानहानि का प्रश्न है । यही इस प्रस्ताव का आधार है । इसके बारे में मेरा उत्तर यह है कि जब वह आरोप लगाया गया बिना किसी प्रस्ताव के और आप ने उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी तो श्री मुरारका तथा श्री नन्दा के लिये उसका खंडन करना आवश्यक नहीं था । श्री नन्दा ने आपको जो पत्र लिखा है उस में कहा है कि यह एक निजी अथवा गुप्त बात चीत थी और श्री मुरारका ने भी इस बात का समर्थन किया है ।

[श्री अ० कु० सेन]

मेरे विचार में तो "हाउस आफ कामन्स" में एक ही प्रकार की गुप्त वार्ता को निषेध बताया गया है जब कि किसी सदस्य को डराने अथवा दबाव के द्वारा उसके संसद् के कार्य करने से रोका जावे। इसलिये यदि हम ने किसी भी गुप्त वार्ता की चर्चा को स्वीकार कर लिया हो तो यह बहुत ही हानिकारक होगी। परन्तु यहां तो दबाव का आरोप नहीं है। इसलिये जिस प्रकार से प्रस्ताव आया है उसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तब उठा जब श्री कृपलानी ने सदन को सूचित किया कि गृह-कार्य मंत्री ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जिनके बारे में यह कहा जा सकता है उससे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को डराया गया है। यदि कोई डराने की बात है तो यह मान हानि का प्रश्न बन सकता है। यदि ऐसी घटना सदन के सम्मुख हो जावे तो सदन इस पर एक दम कार्यवाही कर सकता है। ऐसे ही यह भी हो सकता है यदि इसे छापा जाव अथवा किसी सभा मंच से कहा जावे या रेडियो पर कहा जावे। यदि कोई सदस्य अथवा वह सदस्य स्वयं ऐसी घटना को सदन के सामने ले आवे तो सदन उस पर कार्यवाही करेगा।

डा० लोहिया तथा श्री कृपालानी ने कहा है कि यदि ऐसी बातचीत साधारण व्यक्तियों के बीच हो तब तो कोई बात नहीं परन्तु यदि वह उत्तरदायी व्यक्तियों के बीच हो तब दूसरी बात है। यदि कोई बात ऐसी कही जावे कि उस में डराया जावे अथवा दबाब डालने का आरोप लगे और उसके फलस्वरूप किसी सदस्य को उसके कार्य करने से रोका जा रहा है तब तो वह निश्चित ही मान हानि का प्रश्न होगा चाहे यह सदन की लाबी में ही क्यों न हुआ हो। इसलिये लाबी में कही बात पर भी कार्यवाही हो सकती है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री नन्दा ने जो पत्र लिखा है और उसमें खेद प्रकट किया है, इस विषय को समाप्त हुआ समझा जावे और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) दिनांक 3 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 527 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1965।

(ii) दिनांक 3 अप्रैल, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 528 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1965।

(i) दिनांक 3 अप्रैल, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 529 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1965 ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । दखिये संख्या एल० टी० 4223/65] ।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत भारतीय मक्का (डैक्सट्रोज़ के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) संशोधन आदेश, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० जो 589 में प्रकाशित हुआ था, को एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखो गई । देखिये संख्या एल० टो० 4224/65]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौसठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णामूर्त्ति राव (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चौसठवीं प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुह (बारसाट): मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था, कटक के बारे में प्राक्कलन समिति की सत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में
RE : VIGILANCE COMMISSION REPORT

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे पास अभी तक सतर्कता आयोग जोकि गृह-कार्य मंत्रालय के आधीन है की रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि हम गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने वाले हैं, वह रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा ।

अनुदानों की मांगें --जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगा :

श्री अचल सिंह अपना भाषण जारी करेंगे ।

697(Ai)LS—5.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Achal Singh (Agra) : Mr. Deputy-Speaker, I was telling yesterday that our country has made great progress in the field of industries. In the public sector undertakings which number about 70 only 10 have shown some profits, the others are running at a loss.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

I want to draw the attention of the Minister to the fact that why it is that public sector undertakings are not showing profits as is the case with the private sector undertakings. That undertaking will show profits whose manager or incharge is honest, experienced, industrious and human. We should also see to it that the public sector undertaking. the workers and the staff should be partners in the fortunes of the undertaking. Then there would be no resort to strikes.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : अब कोरम है, वे अपना भाषण जारी करें।

Shri Achal Singh : The small scale industries have made enough progress in our country. There are industrial estates in every Sate and they too have shown progress. It is only in our State U.P. that no progress has been made in this field. In Agra there is the business of shoe, bangles and glass and in addition to it there is also the work of Durree carpets and models of Taj. Shoes used to be exported to Russia, Poland, Switzerland, etc. but the new levy of the Finance Minister will have adverse effect on this trade.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : अब कोरम है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी करें।

Shri Achal Singh : I want to tell the Minister that the group system which they are going to introduce in the S.T.C. will have adverse effect on the socialism and hence the same should not be introduced.

Shri Hukam Chand Kachavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

सदन में कोरम न होने के कारण सभा की बैठक स्थगित की जाती है और यह फिर 14.45 बजे होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till a Quarter to three of the closk.

लोक-सभा दो बजकर सैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled at Forty-seven Minutes Past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Achal Singh : Mr. Deputy Speaker, I was saying that more attention should be paid to U.P. which has not made progress when compared to West Begnal, Maharashtra, Madras and Punjab. I would request to consider Agra as a place for the manufacture of small car. I have seen at Agra that either the dealers do not get raw materials and some of those who have got it do not put it to proper use.

Now there is great demand for cement in the country but its price has gone up and Government should do something about it. To boost industries it is essential to hold exhibitions and such exhibitions brought much business to Indian goods when they were held in USA and other countries. But after 1962 when emergency began in India there is a restriction of such parties. With these words I support the demands of th Ministry and I hope that the hon. Minister will encourage U.P. and especially Agra in its development.

श्री प्र० कु० घोष (रांची-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक उत्पत्ति जनवरी से सितम्बर, 1964 में केवल 7 प्रतिशत बढ़ी । यह बहुत कम है जब कि तीसरी योजना के लिये 10 प्रतिशत की बढ़ोत्री निर्धारित की थी । इसका कारण कुछ तो सरकार की ग़लतियां हैं और कुछ गलत ढंग से योजना बनाना है ।

पहले तो लाइसेंस मिलने में बड़ी देर लगती थी परन्तु स्वामिनाथन समिति की सिफारिश के पश्चात अब यह कार्य शीघ्र हो जाता है । ऐसी आशा है कि चौथी योजना के आरम्भ के समय इस देश में 120 लाख व्यक्ति रोजगार की तालाश में होंगे । यह समस्या केवल औद्योगिकरण के बाद ही सुलझेगी । चाहे यह कार्य सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में । सरकार तो इस दिशा में कार्य करना चाहती है परन्तु लाल फीते के कारण इसमें सफलता नहीं मिल रही है । ऐसे उद्योगों को सहायता देने की व्यवस्था की जावे । उद्योगों के लिये कच्चा माल भी देने की व्यवस्था की जावे ।

ऐसा समाचार है कि रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम से हजारों व्यक्तियों को नौकरियों से निकाला जावेगा । अब जब कि तीसरी योजना समाप्त होने को है तो उन्हें कहीं और जगह नौकरी मिलनी कठिन है । इसलिये मैं चाहता हूं उन इंजीनियरों को जहां तक हो सके उसी कारखाने में काम दिया जावे और 25% को देखभाल के कार्य में रखा जा सकता है । मैं भारी इंजीनियरिंग मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि निर्माण कार्य को 1970 तक ले जाने के बजाये इसको उन्हें दो वर्षों के अन्दर समाप्त कर देना चाहिए जिससे यह लोग अगले दो वर्ष तक और रह सकें और बाद में और उद्योगों में आसानी से नियुक्त हो सकें । बोकारो इस्पात कारखाना तथा अन्य कई सरकारी उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं और इन लोगों को वहां पर स्थान मिल सकता है ।

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि चौथी योजना में लगभग 8000 से 9000 इंजीनियरों की कमी रहेगी । जब इनकी इतनी कमी है तो यह बड़ी ही गलत बात होगी कि इतने अधिक इंजीनियरों की छटनी कर दी जाये । मैं समझता हूं कि इंजीनियरों का केन्द्रीय पूल बनाया जाना चाहिए और इस पूल में से जहां आवश्यक हो वहां पर इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए ।

रांची में इस निगम में आग लगी थी । उसके बारे में जस्टिस मुकर्जी ने अपनी जांच में लिखा है कि यह आग 7 मजदूरों के नेताओं के कारण लगी थी और इसमें उनका हाथ था । मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । मेरी समझ में तो इसमें विदेशी एजेन्टों का हाथ मालूम होता है ।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I am also of the opinion that industries should be established. But side by side I am also of the opinion that simply by establishing industries our purpose is not served. We have to see that whether these industries have started production or not. In this connection I also want to draw the attention towards this position that all our industries are being established in cities and due to this we find concentration of wealth there. Therefore all labourers also try to come to cities leaving their villages. I want to warn the Government that if all this concentration of labourers will be in the cities then they can wherever they want, go or strike and stop the working of all the industries. Therefore I suggest and I am of the opinion that our industries should be established in villages, tahsils so that our labourers should not get themselves concentrated at one place. Moreover these industries can find raw materials also in villages and factories will not bother their heads to bring raw material from villages to cities.

I also find monopoly in the industries. In this connection I suggest that all this monopoly should be given to Co-operative Sector. Government should help the industries set up in co-operative sector.

We should also try to develop public sector. We should try to bring efficiency in this sector but side by side I feel that if we develop co-operative sector it will be more beneficial for us in comparison to public sector.

Our country is mainly depended on agriculture, therefore, it becomes necessary for us to co-ordinate agriculture with industries. We should also develop our fertilizer industry to tone up agricultural production. I am also of the opinion that if this Ministry help Transport Ministry for the development of shipping industry it will be better for our trade.

I find that persons of Indian origin are coming to India with foreign exchange and want to set up industry here with that foreign exchange. I suggest that a special directorate should be made to guide these people in this regard.

I also find that the industrialists are becoming a separate class as Raja, Maharajas were in the past. We should check this tendency. Therefore I suggest that we should decentralize all these industries.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : उपाध्यक्ष महोदय संभरण तथा तकनीकी विकास विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, नदी घाटी परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं आदि के लिए अपने संभरण तथा निपटान महानिदेशालय के द्वारा करता है । 1963–64 में हमने 560 करोड़ रुपये की चीजें खरीदी थीं । ऐसे विभाग को भ्रष्ट तथा जालसाज बताना कुछ अच्छी बात नहीं है । श्रीबड़े ने ऐसा ही किया है । परन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि आजकल यह विभाग बड़े ही योग्य मंत्री के हाथों में है और वह आशा करते हैं कि सभी भ्रष्टाचार आदि अब इस विभाग से दूर हो जायेंगे । उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की कि उससे मुझे फूला नहीं समाना चाहिए था परन्तु उन्होंने विभाग के बारे में कुछ कहा उसकी जिम्मेदारी भी मेरे पर ही है । उन्होंने 1961–62 की अवधि के बारे में बताया है कि कोई गड़बड़ी हुई थी । मैं मानता हूं कि एक गड़बड़ी हो गयी थी परन्तु इससे विभाग को भ्रष्ट बताना तो ठीक नहीं है । इस विभाग में बहुत से अधिकारी हैं जो अपने अपने काम बड़ी जिम्मेदारी से तथा कुशलता से कर रहेहैं । यदि कोई एक अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाता है तो सभी अन्य ईमानदार हजारों अधिकारियों को भ्रष्ट बताना उचित नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी बातें सुनने पर हमारे ईमानदार

अधिकारियों पर बुरा असर पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बुरे अधिकारी भी हैं परन्तु हम उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। लोक लेखा समिति ने जिस अधिकारी का उल्लेख किया है मैं मानता हूं कि उसने एक गलत काम किया परन्तु उससे हमें सबक मिला और अब हम और अधिक सतर्क हो गये और यह व्यवस्था बना दी कि लन्दन तथा वाशिंगटन के हमारे कार्यालय में जो भी कागज़ आये उसका निबटारा एक निश्चित अवधि में हो जाना चाहिये। मैं स्वयं कभी कभी संभरण तथा निपटान निदेशालय का निरीक्षण करने पहुंच जाता हूं।

भ्रष्टाचार को दूर करने के तरीकों के बारे में हमने श्री विद्यालंकार के सभापतित्व में एक समिति बनाई थी। उसने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। जब उसका प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा तब हम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और क़दम उठायेंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि अब इस विभाग में बड़ी जल्दी तथा कुशलता से काम होता है। उदाहरणत: 1-4-64 को 5827 इंडेंट बकाया में जो 1-4-65 को कम हो कर 3891 रह गये। 1-4-64 को 16,247 मामले लम्बित में जो 1-4-65 को 1,195 रह गये। इसी प्रकार हमने काम में तेजी लाने के लिए और भी काम किए हैं।

एक माननीय सदस्य ने छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में कुछ कहा। मैं बताना चाहता हूं कि हम संभरण विभाग के अधिकारी यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास हो। हम छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में 15 प्रतिशत कम मूल्य पर सामान तथा पुर्जे आदि देते हैं। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 70 प्रतिशत चीजें ऐसी रखी हैं जो केवल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए निश्चित हैं। पहले छोटे पैमाने के उद्योग वाले को रजिस्ट्रेशन के लिए उद्योग निदेशक के पास जाना पड़ता था और उद्योग निदेशक संभरण तथा निपटान निदेशक को मामला भेजता था परन्तु अब हमने प्रक्रिया 4 साल बना दी है और छोटे पैमाने के उद्योग लगाने वाला व्यक्ति सीधे संभरण तथा निपटान निदेशक को रजिस्ट्रेशन के लिए लिख सकता है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है।

हमने छोटे पैमाने के उद्योगपतियों के लाभ के लिये एक पुस्तिका बनाई है। इससे इन उद्योगपतियों को मालूम हो सकेगा कि सरकार को किन वस्तुओं की जरूरत होती है तथा उनको किन वस्तुओं को बनाना चाहिये इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भी कुछ संभव है हम छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कर रहे हैं।

तकनीकी विकास शाखा का काम सभी प्रकार के उद्योगपतियों को उद्योगों के बारे में सलाह देना है। यह शाखा उद्योग, वाणिज्य इस्पात, खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों तथा योजना आयोग को परामर्श देना है। इस प्रकार वह तकनीकी मामले में सभी को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रगति की सांख्यकी, उत्पादन सांख्यकी, सम्भव विस्तार सांख्यकी भी रखता है।

यह शाखा कच्चा माल वितरित करने का काम भी एक सीमा तक करता है। में समझता हूं कि हमारी इस शाखा के काम की सभी प्रशंसा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि तकनीकी विकास के सचिव के सभापतित्व में एक शिष्टमंडल तन्जानिया तथा जम्बिया वहां की सरकारों को तकनीकी मामलों की सलाह देने जा रहा है। मुझे आशा है कि हम उनकी मदद कर पायेंगे।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस मंत्रालय पर 800 करोड़ रुपया व्यय होता है जबकि यह एक बड़ा ही छोटा सा मंत्रालय है। इसीलिये यह जरूरी हो जाता है कि हम जान सकें कि इतना धन यह मंत्रालय किन कामों पर व्यय करता है।

दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। सौभाग्य वश अब यह विभाग ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ गया है जो इस सभा के सदस्य बहुत दिनों से हैं तथा जिनकी सभी सदस्य बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिये बहुत से सदस्य इस मंत्रालय के बारे में बहुत कुछ जानते हुये भी कुछ कहना उनके कारण से ठीक नहीं समझते हैं।

इस मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर विचार करते समय सब से पहले ध्यान इसका भारती उद्योग से क्या संबंध है, इस पर जाता है। मैं श्री हेडा के इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उद्योगपतियों ने पहले ही भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है इसलिये हमें उनके साथ सहानुभूति से विचार करना चाहिये। इसका मतलब तो यह हुआ कि उद्योगपतियों ने सरकार को धमकी दी और सरकार डर गयी। हमें इन धमकियों से नहीं डरना चाहिये तथा उद्योगपतियों को सही रास्ते पर लाना चाहिये।

उद्योग विभाग के उद्देश्य रिपोर्ट के पृष्ठ 1 पर दिये हुये हैं कि इस मंत्रालय पर छोटे पैमाने के, सरकारी तथा गैर सरकारी सभी उद्योगों की स्थापना तथा इनके विकास की जिम्मेदारी है। में समझता हूं कि सरकार अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही है। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि ढलाई तथा गढ़ाई के कारखाने की स्थापना के लिये जो स्थान चुना गया वह ठीक नहीं था और इसीलिये उसकी स्थापना वहां पर नहीं हो पाई। इस संबंध में जो प्राथमिक काम हुआ वह सब नष्ट हो गया और सरकार को काफी नुकसान हो गया।

मैं देखता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी उद्योगों की स्थापना के मामले में उपेक्षा की जाती है। ऐसे राज्यों में केरल भी एक है। मैं बताना चाहता हूं कि केरल के बहुत से खनिज पदार्थ हैं तथा कुछ ऐसे हैं जिनको अरब सागर ने आत्मसात कर लिया है। उनमें से इल्मेनाइट एक है। गोआ में लौह अयस्क बड़ी मात्रा में है। अच्छी किस्म का इस्पात भी यहां उपलब्ध है। मैं नहीं जानता कि सरकार ऐसी जगहों का क्यों उपेक्षा कर रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि केरल में भी राजकोट, ओखला तथा हावड़ा को समान एक अध्यिय रूप उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिये।

इसके बाद छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कच्चे माल की कमी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जितना ध्यान इस ओर देना चाहिये वह नहीं दे रही है। विदेशी सहयोग के बारे में हमारा अनुभव बड़ा कड़ुवा है और हमें सोच समझ कर सहयोग करना चाहिये।

हमारे औद्योगिक संबंध बड़े खराब हैं। बड़े बड़े अधिकारी कार्मिक संघ के नेताओं से बातचीत करना पसन्द नहीं करते हैं। न्यायालयों के फैसलों को नहीं मानते हैं। में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी बातों पर ध्यान ेंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल श्री दाजी ने इस सभा में जो यह कहा कि देश में औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं, यह गलत है, क्योंकि हमने देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किये हैं, वह वस्तुयें जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थीं अब यहीं देश में बनने

लगी हैं और अधिकांश वस्तुओं में तो हमारा देश आत्म निर्भर हो गया है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, इस संबंध में पंजाब तथा अन्य स्थानों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। यह ठीक है कि पिछले दो अथवा तीन वर्षों में इतनी प्रगति नहीं हुई जितनी कि मेरे विचार में होनी चाहिये थी। इसका कारण हमारी राजकोषीय तथा मुद्रा संबंधी नीतियां हैं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा की कमी है। हमारे धन की भारी राशि भारी मशीनों तथा रूई, पटसन, चीनी, इस्पात की मिलों के लिये मशीनों को खरीदने में देश से बाहर जा रही हैं। अतः आज देश में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें नये उद्योग स्थापित किये जा सकें, ताकि आयात में कमी हो। हमारी नीतियों के कारण ऐसी कठिन स्थिति पैदा हो गई है कि महत्वपूर्ण उद्योगपति जो बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे, अपेक्षित पूंजी नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि बैंकों की दर तो 9 अथवा 10 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक है, जबकि अंशों पर अधिकतम प्रतिलाभ 6 अथवा 7 प्रतिशत होता है। अब आप ही बतायें कि इस 6 अथवा 7 प्रतिशत के प्रतिलाभ के लिये उद्योगों में कौन इतना धन लगायेगा, जबकि उन्हें इससे कहीं अधिक ब्याज मिल सकता है। धन के मूल्य, में वृद्धि करने का प्रयोजन तो यह था कि इससे मुद्रास्फीति का अन्त हो तथा खपत में कमी हो परन्तु हमें यह देखना है कि क्या हमें ऐसी नीति का अनुसरण करने से सफलता प्राप्त हुई है अथवा नहीं। मुद्रा स्फीति का अन्त तो उत्पादन बढ़ा कर ही किया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि तभी होगी जब अधिक उद्योग स्थापित किये जायेंगे। परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि धन की कमी के कारण कुछ उद्योग विशेषतया इंजीनियरिंग उद्योग अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि उनको अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने की सुविधायें दी जायें तो मुझे पूर्ण आशा है कि कई वस्तुओं का जिनका आज हम आयात कर रहे हैं, आयात बन्द किया जा सकता है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा में बचत की जा सकती है।

सरकारी क्षेत्र के संबंध में भी यही कठिनाई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु यदि अधिक सावधानी से काम लिया जाता तो उनकी स्थिति इससे भी कहीं अधिक अच्छी हो सकती थी। इन उद्योगों में भारी धन राशि लगी पड़ी है और दूसरा इनमें जो माल तैयार किया जा रहा है, वह अन्य उद्योगों के लिये बहुत आवश्यक है, अतः हमें यह देखना है कि इनमें अधिकाधिक उत्पादन हो और देश को इनसे अधिकाधिक प्रतिलाभ प्राप्त हो। इससे यदि पूरा प्रतिलाभ प्राप्त होने लगेगा तो इससे लोगों के सिर प जो करों का इतना भार है, वह भी कम हो जायेगा, क्योंकि सी राशि को फिर नये उद्योगों की स्थापना पर लगाया जा सकेगा। अतः मैं महसूस करता हूं कि दोनों सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने में सहायता देने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें, जिससे आयात की जाने वाली भारी मशीनें यहीं बन सकें और विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाई को दूर किया जा सके।

आयात लाइसेंस जारी करने में बहुत विलम्ब हो जाता है जिसके फलस्वरूप लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो वे तंग आकर महसूस करते हैं कि इससे तो अच्छा है कि हम आराम से घर बैठें ब्याज ही खाते रहें। मुझे आशा है कि लोगों को पेश आने वाली ऐसी कठिनाइयों को भी दूर किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri R. S. Pandey (Guna): While supporting the Demands for Grants in respect of the Ministry of Industry and Supply, I would like to point out

[Shri R. S. Pandey]

that it has been recognised all over the world that industrialisation is an essential medium of achieving rapid development and all the countries are making development through industrialisation. We have also been making concerted efforts to make our country industrially advanced since the year 1947, but our progress in this direction has not been very satisfactory due to some or the other bottlenecks relating to finances, raw materials, foreign exchange etc. In this connection we should take a lesson from Germans and Japanese who have made a lot of progress after the Second World war when all their means of development were destroyed and economy shattered and they had to develop their countries *de novo*. There had been increase in their productive capacity at the rate of 25 to 30 per cent per year in Germany whereas Japan has made history in the fields of both industry and agriculture. But the annual increase in our production is something between 7 and 8 per cent, in spite of the fact that we have enough man-power. We have 45 to 46 crores of people who are equally labourious and who are also well-equipped with technical know-how. I do not understand as to why we could not make big strides in this direction like them. With the present rate of growth and in view of the increasing population, I do not know how would we be able to achieve our end of setting up of a socialistic pattern of society and how we would be able to ensure social and economic justice to our people. For how long they would have to wait for attaining social and economic freedom which we had promised to them. I would, therefore, request that more efforts should be made to develop the country more rapidly so that the promises which we have made to our people could be fulfilled soon. I am sure if we take some constructive steps after taking into account all the factors of industrial development, we would, definitely, succeed to achieve our aim.

The Government have so far set up only three steel plants whereas our requirements of Steel in the context of modern industrialisation are at least 20 million tonnes. We want decentralisation of industries so that our rural areas could be developed. But in villages power is not available to set up small industries there and even if it is available, it is very dear. Moreover raw materials such as copper, zinc and corrugated sheets etc. which are necessary for feeding the industries are also not available. There is shortage of cement and pig iron also. We have no foreign exchange to import there raw materials. When there is nothing available in villages ; neither raw materials and nor power, how can industries be started in the villages. While making plans and while issuing licences, all these factors should be taken into account and when you promise to supply raw materials, you must fulfill them. The other day I read a report from Madhya Pradesh and Iwas simply astonished to note how that area has totally been neglected. A number of minerals such as coal, iron bauxite etc. are lying hidden in Madhya Pradesh but these mineral resources have not so far been exploited. The Central Government can very well say that it is the duty of the Government of Madhya Pradesh to conduct surveys and to get the mineral resources exploited. But I would, however, like to submit that a high power committee should be appointed to look up this matter and to go into this matter in detail. I think a steel plant can be set up in the district of Bastar in the public sector as iron is available there in large quantities.

It has been decided that those industrialists who start small scale industries with a capital of Rs. 5 lakhs and Rs. 10 lakhs, would be given all help and incentives, but the Government have failed to supply them requisite quantities of raw materials. Even the available quantities of raw materials are not being

distributed equitably among the various States. The State of Madhya Pradesh has been given the smallest quota of raw materials. If small industries had been allowed to be set up in Madhya Pradesh as these have been set up in Punjab, we would have also played a great role in the economic growth of the country. In 1964-65, 5460 tonnes of pig iron was supplied to us against our demand of 15,000 tonnes. Similarly 403 tonnes of copper was allotted to us when our demand was much more that this. Quantity. Our requirements for zinc were 3,000 tonnes whereas 253 tonnes of zinc was supplied to us.

I would also suggest that the proposed cheap cars' project should be started in the district of Guna in Madhya Pradesh. Similarly nine sugar co-operative mills and five cement factories should also be set up in Madhya Pradesh in the public sector. A factory for production of pig iron should also be started in Gwalior. I hope these few suggestions, which I have made, woul be considered sympathetically.

श्री अल्वारस (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग तथा संभरण मंत्रालय के प्रतिवेदन में सरकार की औद्योगिक नीति को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया । हाल ही में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के हुये सम्मेलनों का सरकार पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि सरकार की औद्योगिक नीति के कुछ पहलुओं में परिवर्तन किया जाना चाहिये । नीति में चुपचाप कुछ ऐसे परिवर्तन किये भी गए हैं जिनसे कुछ ठोस परिणाम निकले हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के संबंध में आरम्भ में हमारी यह धारणा थी कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त 'सरकार-को-सरकार' के आधार पर इस देश में आएगा और यही हमारी सरकार की निश्चित नीति थी। परन्तु इस नीति को धीरे धीरे बदल दिया गया । भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी सहयोगी ढूंढने के लिये अधिकार पत्र दिये जाने लगे । पिछले 6 महीनों से इस में भी परिवर्तन किया गया है । अब विदेशी नियोजकों को भारतीय सहयोगी की तलाश करने के लिये अधिकार-पत्र जारी किये जाने लगे हैं । सरकार जो इस प्रकार विदेशी सहयोगियों के पीछे भाग रही है इससे औद्योगिक विकास तो क्या होगा उलटा इससे हमारे राष्ट्र के सम्मान को धक्का लगेगा । बोकारो परियोजना के संबंध में अमरीका से जो बातचीत हो रही थी उसको समाप्त करने वाला एक अमरीकी जनरल था जो अमरीका में कुछ वित्तीय हितों का प्रतिनिधान करता है । तत्पश्चात इसी अमरीकी को देश में उर्वरकों के बड़े बड़े पांच कारखाने स्थापित करने का ठेका दे दिया गया । हमारे देश में न तो धन की कमी है और न ही बृद्धि-वैभव की । इन सब बातों का कारण केवल हमारी त्रुटिपूर्ण नीतियां हैं जिनसे देश में केवल एकाधिकार की मनोवत्तियों को बल प्राप्त हो रहा है । मैं उद्योग मंत्री को यह बता दूं कि यह सभा इस बात को भी कभी गवारा नहीं करेगी, कि सरकार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से पीछे हटे । उद्योगपति समझते हैं कि "समाजवादी रूप" का तो केवल कांग्रस के मंत्रियों को प्रसन्न करने के लिये नारा लगाना है, वास्तव में वह इस विकासशील अर्थव्यवस्था में लोगों के विश्वास को प्राप्त करने के लिये समाजवाद के वास्तव भार को उठाने के लिये तैयार नहीं है । अतः सरकार को हमेशा के लिये यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में निर्धारित मूल उद्योगों को केवल सरकारी क्षेत्र में ही लगाया जायेगा । इस नीति से हमें किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना चाहिये । परन्तु उद्योग मंत्री ने इसके विपरीत छोटी कारों के निर्माण के प्रश्न पर एक प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी है । आरम्भ में जब इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी तो सरकार ने स्पष्ट रूप में यह कहा था कि यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी । परन्तु दो महीने पूर्व एक बैठक में मंत्री महोदय ने

[श्री अल्वारेस]

कहा कि इस परियोजना को परिस्थितियों के अनसार सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र मैं रखा जाएगा। यदि उन्होंने आकार आयाम की नीति को उस समय अपनाया होता, तो शायद सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 कारें बनाने के लिये एक ही कम्पनी काफी थी। अब जो है कारों के तीन भिन्न भिन्न मॉडल तैयार करने के लिये तीन कम्पनियों को यह काम सौंपा गया है। वर्तमान दर से 40,000 कारों की हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिये केवल 23,300 कारें बन रही हैं और वह महंगी भी बहुत हैं। अतः मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये की दूसरी पेशकशों की ओर ध्यान न देकर चेकोस्लोवाकिया की 7,000 पये की पेशकश को मंजूर कर लेना चाहिये और इनका निर्माण सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिये।

यदि इस देश में औद्योगिक विकास करना है तो हमें बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े नगरों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां तो पहले ही बड़े बड़े उद्योग हैं और काफी भीड़ भाड़ है। जब हम उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण तथा यह चाहते हैं कि अधिकाधिक लोग इनको स्थापित करने में रुचि लें, तो सरकार को ऐसे अनुदेश जारी करने चाहियें कि औद्योगिक बस्तियों को बड़े नगरों में स्थापित करने की बजाय केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाये, ताकि इनको कम लागत पर चलाया जा सके और उत्पादन भी अधिक हो। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये सरकार को न केवल तकनीकी जानकारी ही देनी चाहिये अपितु इन उद्योगों से माल भी खरीदना चाहिये।

हमारा देश उन देशों में से एक है जहां पर उत्पादिकता सब से कम है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि यहां पर 72 राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषदें, 46 स्थानीय उत्पादिकता परिषदें तथा 366 पाठ्यक्रम हैं, 22 बार सर्वेक्षण किया गया और उत्पादिकता का अध्ययन करने के लिये 46 प्रतिनिधि मंडल हैं जिनको दूसरे देशों ने आमंत्रित किया है। हमने इस कार्य पर 28 लाख रुपये व्यय किये हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी हमारी उत्पादिकता बहुत कम है। कृषि-क्षेत्र में इस में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय को यह हमें बताना चाहिये कि इतना धन जो इस मद पर खर्च किया जा रहा है उससे हमारी उत्पादिकता में क्या वृद्धि हुई है।

श्री कोया (कोजीकोड) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में अखबारी कागज की कमी का उत्तरदायित्व हमारी आयात नीति पर है। समाचारपत्र उद्योग वालों को इससे बहुत कठिनाई हो रही है। वे समाचारपत्रों के परिचालन में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। नेपा मिल द्वारा की गई प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। अखबारी कागज की किस्म को सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया। केरल में अखबारी कागज का एक और कारखाना लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है। मुझे पूर्ण आशा है कि उद्योग मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे तथा देखेंगे कि अखबारी कागज की कमी से समाचारपत्र उद्योग को और अधिक हानि न उठानी पड़े।

केरल राज्य में औद्योगिक विकास की बड़ी मन्द गति से हो रहा है। डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने वहां पर कई उद्योग आरम्भ किये थे, परन्तु, जैसा कि श्री श्रीकान्तन नायर ने कहा है, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् इस राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कुछ नहीं किया

गया, हालांकि इस राज्य में उद्योग चालू करने के लिये सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि उद्योग मंत्री केरल में औद्योगिक विकास करने के मामले पर सहानुभूति से विचार करेंगे ।

केरल में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत गम्भीर है। कृषि क्षेत्र में भी बेरोजगारी संतृप्ति-बिन्दु तक पहुंच गई है। इन समस्याओं का हल केवल औद्योगीकरण द्वारा ही किया जा सकता है। केरल में बहुत कम उद्योग स्थापित किए गये हैं। फीटोकैमिकल उद्योगों के लिये केरल में भूमि तो ले ली गई, परन्तु फिर भी वहां पर यह उद्योग नहीं लगाये गये। उस भूमि पर बागीचे लगा दिये गये हैं। केन्द्र को इस राज्य से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये।

सरकार का यह निर्णय कि अब वह सरकारी कर्मचारी जिनका वेतन 500 रुपये से कम है, सरकारी कोटे से स्कूटर नहीं ले सकेंगे, समाजवादी समाज स्थापित करने की नीति से कहां तक मेल खाता है। दिल्ली तथा कई अन्य नगरों में सरकारी कर्मचारी अपने कार्य स्थलों से बहुत दूर रहते हैं अतः मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इन कर्मचारियों को भी स्कूटर दें।

केरल के तटीय क्षेत्र में मीनक्षेत्रों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है। अतः वहां पर ऐसे उद्योग चालू किये जाने चाहियें। आशा है, उद्योग मंत्री इस मामले पर भी विचार करेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, श्री दाजी ने इस मंत्रालय के विरुद्ध जो कुछ टिप्पणियां कीं वह बहुत आपत्तिजनक थीं। प्रतिपक्षी दल के सदस्यों को सरकार का सम्मान करना सीखना चाहिये। जब हम स्वयं ही अपनी सरकार का सम्मान नहीं करते तो दूसरों से कैसे यह आशा की जा सकती है.....

श्री दाजी: सरकार को अपने आप को आदर के योग्य बनाना चाहिये। यह सरकार आदर की पात्र नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : जब दूसरे ही इसका आदर नहीं करते हैं तो आपको तो चुप रहना चाहिये ।

श्री दाजी : जी, नहीं। यह एक बहुत अजीब बात है। मैं अपने बच्चे को तो पीट सकता हूं परन्तु यदि मेरा पड़ोसी मेरे बच्चे को पीटेगा तो मैं उस पड़ोसी को ही पीटूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : यह एक भिन्न मामला है। यह एक राष्ट्रीय सभा स्थान है जहां पर शिष्ठता से कार्य करना पड़ता है। इससे हमारे देश का विदेशों में सम्मान बढ़ेगा।

श्री दाजी और अन्य सदस्यों ने एकाधिकार प्रवृत्ति का जिक्र किया। श्री जवाहरलाल जी ने कहा था :

> "जब तक समाजवाद की गति को तीव्र नहीं किया जायेगा लोग परिवर्तन के शांतिपूर्ण तरीकों को पसन्द नहीं करेंगे ।"

इन शब्दों में उन्होंने पूंजीपतियों को चेतावनी दी है।

उन्होंने यह भी कहा :

> "एकाधिकार समाजवाद का शत्रु है। हाल के वर्षों में इसने जितना जोर पकड़ा है उसी सीमा तक हम समाजवाद के अपने लक्ष्य से परे हट गये हैं।"

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

जो सदस्य सरकार की आलोचना करते हैं सरकार को उनकी बात नहीं माननी चाहिये। सरकार की एक निश्चित नीति ह और उसे उस पर चलना चाहिये।

हम श्री दण्डेकर और श्री मसानी की इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि केवल कृषि पर ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये और मशीनों को आयात करना चाहिये। श्री जवाहरलाल जी ने कहा था कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करना चाहिये और मशीनों और मशीन बनाने के उद्योग में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिये।

श्री जवाहरलाल जी के कुछ और वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं। उन्होंने कहा था :

> "पूंजीवादी देशों में भी लोकतन्त्र के तरीकों में परिवर्तन आ रहा है। भारत को छोड़ कर शायद ही संसार में कोई पूंजीपति होगा। भारत के पूंजीपति गलत तरीके से सोचते हैं। उनका विचार है कि यदि समाजवाद आ गया तो वे बरबाद हो जायेंगे। वे यह अनुभव नहीं करते कि यदि पूंजीवाद लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दे सकेगा तो वह जीवित नहीं रहेगा।"

गांधी जी के भी समानता के विचार थे। उनका विश्वास था कि समानता को प्यार के द्वारा लाया जा सकता है। योजना आयोग के उपसभापति के अनुसार चतुर्थ योजना में भी गैर सरकारी क्षेत्र को महत्व दिया जायेगा। परन्तु किस प्रकार? वहां पर भी गैर-सरकारी क्षेत्र का भविष्य इस बत पर निर्भर करता है कि जो काम उन्हें सौंपा जायेगा उसमें वे कैसा व्यवहार करते हैं।

विदेशी मुद्रा और संसाधनों की कमी के कारण सभी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि सहायता देने वाले अधिकांश देश पूंजीवादी हैं इसलिये वे सरकारी क्षेत्र को सहायता देने के लिये आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर इस्पात संयंत्र जैसे कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं। यह हर्ष की बात है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग, विशेषतः इस्पात संयंत्रों के मामले में, गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योग काफी अच्छे चल रहे हैं, यद्यपि कुछ विशिष्ट कठिनाइयां हैं जैसे कि वे मजदूरों की छंटनी आसानी से नहीं कर सकते।

महलानोबिस प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है। यह सच है कि धन 20 या 50 या 100 परिवारों के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिये हमें कदम उठाने चाहियें। और गांवों में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे उद्योग खोलने चाहियें। दुर्गापुर में हाल ही में पारित किये गये संकल्प के अनुसार हमें प्रत्येक राज्य में एक कृषि औद्योगिक निगम खोलना चाहियें। यह काम जितना शीघ्र किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा। गांवों में बिजली के चले जाने से वहां पर काफी उद्योग खोले जा सकते हैं।

हम अपने देश का मुकाबला अन्य देशों से नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत गरीब है। इसलिये हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसे उद्योगों में लगा देना चाहिये और इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि लोगों में उत्पादन के वितरण के मामले में सामाजिक न्याय किया जाये।

यह देख कर खुशी होती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने काफी सफलता प्राप्त की है । 1951 में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में केवल 0.47 करोड़ रु० के माल का उत्पादन किया गया और 1960 में 5.50 करोड़ रु० के माल का। इसके साथ साथ इन वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ गया है । 1951 में 2.97 करोड़ से बढ़ कर उपभोग अब 28.50 करोड़ रु० हो गया है ।

कच्चे माल की हर स्थान पर कमी है । केवल बड़े उद्योगों को कच्चा माल मिल रहा है और छोटे उद्योगों को पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है । सरकार ने काफी प्रचार किया तब तो इन छोटे उद्योगों ने जन्म लिया था । क्या अब सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उनको इस आवश्यकता को पूरा करने में उनकी सहायता करे ?

श्री पाण्डे ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जाना चाहिये । अलौह धातुओं के लिये हम दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते । मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में मिलारम में और गुन्तुर जिले में तांबा पाया गया है । परन्तु खुदाई संबंधी कठिनाइयों के कारण काम में देरी लग रही है । इसको निकालने का काम तेजी से किया जाना चाहिये ।

कल ही की बात है हमने सुना था कि 20,000 ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं । मैं नहीं जानता कि इसके लिये कौन जिम्मेवार है । फालतू पुरजों के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन के संबंध में विचार करने के लिये मैंने वित्त मंत्रालय को लिखा था । उन्होंने कहा कि इसका संबंध किसी अन्य मंत्रालय से है । जहां फालतू पुरजों का संबंध है मैं समझती हूं कि यह काम इसी मंत्रालय का है ।

किस्म नियंत्रण के संबंध में मैं मंत्री महोदय से पहले ही बात कर चुकी हूं । थरमामीटर हैं जो कि वास्तविक ताप से एक दर्जा अधिक बताते हैं । इसीलिये किस्म नियन्त्रण को सख्ती से लागू कर देना चाहिये ।

उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मेरे विचार में छोटे उद्योग और उनका विकास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम समाजवाद के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं । छोटे उद्योगों के विकास पर सदा ही जोर दिया जाता रहा है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में इसके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं ।

कच्चे माल की कमी के बारे में काफी कुछ कहा गया है । मैं इस बात को मानता हूं कि कई उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी है । परन्तु इससे पता चलता है कि गत 16-17 वर्षों में उद्योगों का कितनी तेजी से विकास हुआ है । आयातित कच्चे माल की हमारी मांग बढ़ती जा रही है परन्तु मैं बता दूं कि हमने बहुत से ऐसे कच्चे माल तैयार कर लिये हैं और उनका उत्पादन किया जा रहा है जिन्हें आयातित कच्चे माल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । छोटे उद्योगों में हमारे उद्योगपतियों और इंजीनियरों ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जिनके द्वारा आयातित कच्चे माल के बिना ही काम चलाया जा सकता है ।

हमें यह मानना होगा कि हमारे देश में जिस गति से विकास हुआ है किसी अन्य देश में नहीं हुआ है । जब विकास की गति तेज होती है तो अनेक समस्याएं सामने आती हैं, और हमें उनका मुकाबला करना है ।

[श्री वि० ना० सिंह]

छोटे उद्योग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । आपको यकीन नहीं आयेगा कि वे लगभग बड़े उद्योगों जितना उत्पादन कर रहे हैं । उनकी अपनी समस्याएं हैं । मुझे खेद है कि हम उनको कच्चे माल की आवश्यक मात्रा नहीं दे सकते हैं ।

बड़े उद्योगों को हम लाइसेंस देते हैं और एक बार लाइसेंस देने के पश्चात सरकार उनको कच्चा माल देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है । छोटे उद्योगों के मामले में लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं । छोटे उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इसलिये अचानक किसी न किसी कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है । हमारे पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है । सभी विकासशील देशों में ऐसा होता है । अपनी कमियों और कठिनाइयों के होते हुए भी मैं समझता हूं कि औरों के मुकाबले हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं । हां, तो मैं छोटे उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी के बारे में कह रहा था । क्योंकि उनके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है इसलिये उन्हें किसी भी स्थान पर जब चाहे स्थापित किया जा सकता है । छोटे उद्योगपतियों को यही कहना चाहता हूं कि उन्हें सोच विचार कर उद्योग चलाने चाहियें और इस बात को दिमाग में रख कर कि सरकार पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं दे सकती है । छोटे उद्योग कई अलौह धातुओं का प्रयोग करने लगे हैं । वे बिजली की तार बनाने में एलुमिनियम का बड़ी मात्रा में प्रयोग करने लगे हैं । यह ठीक है कि इस समय हमारे सामने कठिनाइयां हैं, परन्तु थोड़े समय में सब दूर हो जायेंगी । हमारे लोग योग्य हैं और काम करने वाले हैं और उन पर पूरा विश्वास है ।

कृषि उद्योगों के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है । कांग्रेस दल ने अपने दुर्गापुर के अधिवेशन में एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम पास किया जिसे कृषि-उद्योग कार्यक्रम कहा जाता है । शीघ्र ही इस कार्यक्रम के ब्योरे बनाये जायेंगे । इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर आधारित उद्योगों को और ऐसे उद्योगों को चलाना है जिनसे कृषि को लाभ पहुंचे । इससे कृषि के कच्चे माल का पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ चीनी उद्योग में आजकल खोई का कोई उपयोग नहीं किया जाता और वह नष्ट जाती है । इस प्रकार की नष्ट जाने वाली वस्तुओं को औद्योगिक प्रयोजनों के लिये काम में लाया जायेगा । इस संबंध में हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें बाद में बड़े कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि चीनी उद्योग एक बहुत बड़े औद्योगिक संगम का रूप ले लेगा । इसी प्रकार तेल उद्योग एक दूसरा संगम है । स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, परन्तु गांवों में इसके लिये दूर दूर तक बिजली होनी चाहिये । मैं भी गांवों में बिजली देने को सब से अधिक महत्व देता हूं । हमारी कुछ वित्तीय और आर्थिक कठिनाइयां हैं । हमें फैसला करना होता है कि शिक्षा और विद्युतीकरण में किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये । फिर भी गांवों में उद्योगों को फैलाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें । पिछले वर्षों में सरकार की यही नीति रही है ।

लाइसेंस देने में देरी के संबंध में कुछ मित्रों ने शिकायत की है । वास्तव में देरी का कारण यह है कि उद्योगपति बम्बई और कलकत्ता में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस मांगते हैं और मैं इसका विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि ऐसे स्थान पर उद्योग खोले जायें जहां उनकी कमी है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने भूपाल और रांची और अन्य सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं में श्रम स्थिति का जिक्र किया । क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को व्यापारिक तरीके पर चलाने के लिये उसमें फालतू मशीनें लगाना फालतू, पैसा लगाना और फालतू मजदूर लगाना उचित है ? रांची में हमने निर्माण कार्य के लिये बड़ी संख्या में मजदूर रखे । निर्माण एक अस्थायी किस्म का कार्य है । क्या हमें रांची भारी इंजीनियरिंग परियोजना में 2000 मजदूरों को नियमित कर देना चाहिये ? यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सरकारी क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे ।

लोग भूपाल की बातें करते हैं । वहां पर प्रशिक्षणार्थी है । उन्हें साफ साफ बता दिया गया है कि उन्हें प्रशिक्षण के लिये लिया जा रहा है और नौकरी की कोई गारन्टी नहीं है । हम उन्हें इसलिये प्रशिक्षण देते हैं कि वे अन्य स्थानों पर लग सकें । हम सब को नहीं खपा सकते । जब उनको काम बताया जाता है तो वे उन पर जाते नहीं हैं । वे केवल भूपाल में ही नौकरी चाहते हैं । सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को चलाने का यह तरीका नहीं है ।

रांची में उस बड़ी परियोजना में आग की घटनाएं हुई हैं । मुझे इस पर बहुत दुख है । जिन लोगों ने वहां आग लगवाई मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता और न ही इस विषय पर चर्चा करना जाहता हूं कि अभी मामले की जांच की जा रही है । जांच होने के बाद अपराधियों को बड़े से बड़ा काननी दण्ड दिया जायेगा ।

अखबारी कागज के उद्योग के लिये सरकारी क्षेत्र की परियोजाना को छोड़ रक गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है ।

श्री कृ० ना० तिवारी (बगहा) : यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई इस उद्योग को स्थापित करना चाहे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कठिनाई यह है कि उनके पास लाइसेंस होते हुए भी वे मामले में आगे नहीं बढ़ते हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : मुझे पता लगा है कि आपने एक पार्टी को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस समय विवियन बोस जांच आयोग के प्रतिवेदन को बीच में नहीं लाना चाहता । इसलिये मैं इसको छोड़ता हूं ।

श्री दाण्डेकर ने कहा कि सीमेंट उद्योग बहुत सुस्त चल रहा है और इसका कारण है हमारी मूल्य और नियन्त्रण संबंधी नीतियां त्रुटिपूर्ण रही हैं । कुछ समय पहले मैं योजना आयोग का सदस्य था । हमने तृतीय योजना के लिये विभिन्न उद्योगों के संबंध में लक्ष्य रखने पर विचार किया । माननीय सदस्य श्री दण्डेकर उस समय सीमेंट उद्योग के प्रभारी थे । उन दिनों अस्थायी रूप से सीमेंट की कुछ मात्रा फालतू थी । इसलिये सीमेंट उत्पादन को कम करने पर जोर दिया गया था । श्री दण्डेकर इसके बड़े पक्ष में थे । उनका कहना था कि मांग नहीं बढ़ेगी इसलिये लक्ष्य को घटाया जाना चाहिये । इस प्रकार सीमेंट के लक्ष्य को घटा दिया गया था और आजकल सीमेंट का उत्पादन कम है । सीमेंट का

[श्री त्रि० ना० सिंह]

उत्पादन बढ़ाने के लिये हम भरषक प्रयत्न कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सीमेंट निगम बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। जहां पर भी सरकारी क्षेत्र के आगे आने की संभावना नहीं है गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभी तरह के बिजली के उपकरणों के लिये हमने गैर-सरकारी क्षेत्र को भी लाइसेंस दे दिये हैं। हैवी इलैक्ट्रीकल्स और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के बीच प्रतिस्पर्धा होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं फालतू विनियोजन नहीं चाहता। जो संयन्त्र लगाये गये हैं उनसे पूरा काम लिया जाना चाहिये।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : क्या लक्ष्य तय पाया था और उस निश्चित लक्ष्य से भी उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता **के** कम होने के क्या कारण हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमें आशा थी कि गर-सरकारी क्षेत्र आगे आयेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह है कि मूल्य नीति क्या होनी चाहिये। अब तक प्रशुल्क आयोग की यह नीति थी कि पूंजी पर 10–12 प्रतिशत लाभ होना चाहिये। पूंजी पर लाभ की गणना करने के लिये प्रशुल्क आयोग से एक सूत्र को स्वीकार किया। सीमेंट उद्योग के बारे में यह तय पाया कि इसको आगे लाने के लिये पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

कागज उद्योग के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोगों ने कहानी घड़ी है कि कोई कागज उद्योग **स्थापि**त नहीं किया जायेगा।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मेरे पास सूचना आई है कि एक सीमेंट कारखाने का एक पुर्जा टूट गाया है और उस पुर्जे को बदलने के मार्ग में सरकार बाधा डाल रही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं उस मामले की जांच करूंगा। हम इस प्रकार की बातों में बाधक नहीं होगे।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति यह है कि कुछ उद्योग तो ऐसे हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र में अच्छी तरह चलाया जा सकता है और अन्य ऐसे हैं जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। परन्तु इसमें काफी गुंजाइश रखी गई है और सरकारी क्षेत्र में गर-सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों को लिया जा सकता है।

जब गैर-सरकारी क्षेत्र की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि इसका संबंध केवल मुट्ठी भर लोगों से है। ऐसा नहीं है। हमारे समाजवाद का अर्थ है सरकारी क्षेत्र का विस्तार परन्तु अर्थ-व्यवस्था के विकास के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जायेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का सारे देश में, छोटे-छोटे गांवों में विस्तार किया जायेगा। मैं समझता हूं कि हमारे जसे गरीब देश की इससे अच्छी नीति नहीं हो सकती है।

सरकार तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों को प्रोत्साहन देना चाहती है। हम चाहते हैं कि उनको आर्थिक सहायता दी जाये जिससे कि वे स्वयं उद्योग स्थापित कर सकें। जब मैं योजना आयोग का सदस्य था तो हमने फैसला किया था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में जो अनुसन्धान किये जाते हैं वाणिज्यिक स्तर पर उनको परीक्षण करने के लिये तकनीकी कर्मचारियों को सुविधाएं दी जानी चाहियें। इसके लिये निधियां आवंटित कर दी गई हैं।

विदेशी सहयोग व्यापार के बारे में भी यहां कुछ कहा गया है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

1961 में 11 उद्योगों में विदेशी पूंजी भागिता 51 प्रतिशत या इससे अधिक थी। 1962 में यह संख्या 11 से घट कर 7 हो गई और 1963 में 6 और 1964 में केवल 1 उद्योग में विदेशी पूंजी भागिता 51 प्रतिशत या इससे अधिक थी। अतः बिना तथ्यों के सरकार की आलोचना करना बेकार है। तथ्य ये हैं जो मैंने बताये हैं।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी यह नीति कभी नहीं रही है कि कोई विदेशी भारतीय व्यक्ति से अनुचित लाभ उठाये। परन्तु हमें एक बात याद रखनी चाहिये कभी कभी कुछ व्यक्तियों को जिनके पास लाइसेंस होते हैं विदेशी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है इसलिये कुछ मामलों में विदेशी सहयोग लेना वांछनीय हो जाता है। परन्तु उसे एक भारतीय कम्पनी के रूप में रजिस्टर किया जायेगा और उसमें भारतीय अंश होंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): अधिक अंश भारतीयों के होने चाहियें।

श्री त्रि० ना० सिंह: जहां तक संभव होता है।

एकस्व विधि के बारे में भी कहा गया था। यदि समय मिला तो संशोधन विधेयक इसी सत्र में लाया जायेगा अन्यथा अगले सत्र में; इस विधेयक में क्या है यह इस समय बताना ठीक नहीं।

मेरे माननीय मित्र डा० लोहिया ने कहा कि औद्योगिक प्रगति की कमी का एक मात्र कारण यह है कि लोगों के रहन सहन का स्तर बहुत गिरा हुआ है केवल यही कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना है। 17 वर्षों से इस देश ने जो औद्योगिक प्रगति की है उस पर कोई भी व्यक्ति गर्व कर सकता है। जब अंग्रेज यहां पर थे तो हमारी क्या स्थिति थी? हम साधारण वस्तुएं भी नहीं बना सकते थे। आज हम विमान और बड़ी बड़ी पेचीदा चीजें बना रहे हैं। इससे पता लगता है कि प्रगति हुई है और काफी प्रगति की जरूरत है। संसाधनों और अन्य बातों के संबंध में हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के ही उद्योगों का विकास हो। सरकारी क्षेत्र के संबंध में जब मैं अपनी कठिनाइयों को देखता हूं तो मुझ कुछ निराशा सी होती है। हम उद्योग चालू करते हैं; हमारे पास तकनीकी कर्मचारियों की कमी है।

यदि दुर्भाग्य से कभी कोई बात हो जाती है तो जांच कराने के लिये मांग की जाती है और सुझाव दिया जाता है कि भारतीय कर्मचारियों के स्थान पर यूरोपीय कर्मचारियों को रखना चाहिये। इस तरीके से तो हम अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जिन्हें कि बहुत ही पेचीदा आधुनिक उद्योगों में काम करना पड़ता है।

Ai) L.S—6

श्री रंगा (चित्तूर) : इसका अर्थ तो यह हुआ कि जांच नहीं होनी चाहिये ।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमें सारी स्थिति को समझना चाहिये । मैं इस से सहमत हूं कि हमें व्यावहारिक होना चाहिये , परन्तु इसके साथ साथ खामखा लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे उनका उत्साह मर जाता है । हमारे इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं मुझे उस पर बहुत गर्व है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग तथा संभरण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Industry and Supply were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
64	उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय	87,14,000
65	उद्योग	4,06,44,000
66	नमक . .	50,77,000
67	संभरण और निपटान . .	3,13,45,000
68	उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	37,48,000
133	उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	54,09,61,000

वर्ष 1965-66 के लिये शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	शिक्षा मंत्रालय .	76,05,000
16	शिक्षा . .	37,25,87,000
17	पुरातत्व . . .	1,01,63,000
18	भारतीय सर्वेक्षण . .	3,58,82,000
19	वनस्पति सर्वेक्षण	27,54,000
20	जन्तु सर्वेक्षण	24,19,000
21	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	8,97,49,000
118	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	5,04,62,000

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर): यद्यपि मैं बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षित करने के इस मंत्रालय के बड़े भारी काम को पूरी तरह समझती हूं लेकिन इतने वर्ष जो गंबा दिये गये हैं उसके लिये माफी का कोई कारण नहीं है। हमें देश में बेरोजगारी को दूर करना

है तथा औद्योगिक परियोजनाओं के लिये कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना है। यद्यपि इस दिशा में कार्यवाही की गई लेकिन प्रगति बहुत धीमी रही है । शिक्षा का आयोजन इस प्रकार करना चाहिये था कि ये औद्योगिक-वृद्धि के साथ पांव से पांव मिलाकर, चल सकें और कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहिये क्योंकि हम और अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते। हमें शीघ्रातिशीघ्र देश के नवयुवक को उचित प्रकार से शिक्षा देनी है ताकि वह उसके सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके तथा अपना कर्त्तव्य निभा सके।

यदि आप दक्षिण भारत को छोड़कर किसी अन्य शहरी इलाके में जायें तो वहां आपको गन्दगी, कूड़ा-करकट, गंवारपन के अतिरिक्त और कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसका कारण नागरिक-भावना और अनुशासनहीनता है जो तेजी से हमारे राष्ट्रीय चरित्र का अंग बनता जा रहा है । यदि हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है तो देशवासियों को समय रहते यह अच्छी तरह समझा देना चाहिए उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण तथा अनुशासनपूर्ण नागरिक बनना है । विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता फैली हुई है और वे गुरुजनों का आदर नहीं करते। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनमें उत्सर्ग होने की भावना होनी चाहिये और उन्हें यह समझना चाहिये कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर रहे हैं, यह ठीक है कि शिक्षा के ध्येय में से यह एक है लेकिन क्या हम इसके लिये उन्हें उचित शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ? विभिन्न राज्यों में जिन व्यक्तियों को शिक्षा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के काम के बड़े भारी उत्तरदायित्व सौंपे गये है, क्या इसके लिये उनके पास पर्याप्त साधन हैं ? क्या वे बिना किसी राजनैतिक विचार अथवा पक्षपात के अपने काम को पूरी तरह समझते हैं ? हमें इन सब प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना है क्योंकि राष्ट्र के भविष्य की नींव आज के विद्यार्थी हैं ।

अब मैं कुछ विशेष समस्याओं का उल्लेख करूंगी। हमें तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता-पूर्ति के लिये अधिकाधिक अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं के प्रसारण के लिये शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर्याप्त नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को बाल-मनोविज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाये जा सकते हैं तथा उन्हें प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन कार्य सौंपा जा सकता है । इससे तुरन्त नौकरी चाहने वाले विद्यार्थियों का समय नष्ट नहीं होगा और वे एकदम काम पर लग जायेंगे । यदि केन्द्रीय स्थानों पर संयुक्त पुस्तकालय तथा प्रयोगशालायें स्थापित किये जायें तो अनेक स्कूलों के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकेंगे तथा लागत भी कम आयेगी क्योंकि प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल में विज्ञान-शिक्षक और विज्ञान के सामान की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान 1 मार्च के "ब्यूरोक्रेटिक लैप्स तथा फ्लैक्सिबिलिटी" नामक लेख की ओर आकर्षित करूंगी। इसमें यह कहा गया है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने ब्रिटेन की महिलाओं की एक संस्था द्वारा भारत के बच्चों के लिये भेजी गई 10,000 पुस्तकों को भारत में नहीं आने दिया। ये पुस्तकें 59 अन्य देशों को भेजी जाती हैं। मंत्री महोदय को इस बारे में जांच करनी चाहिये। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देने का सम्बन्ध है उसके लिये चलती-फिरती प्रयोगशालायें होनी चाहियें जो गांवों में जा कर विज्ञान की शिक्षा दें, जिसके लिये वहां पर अनेक बालक ज्ञानोपार्जन के इच्छुक

[श्रीमती गायत्री देवी]

हैं। शिक्षा शास्त्रियों का ध्येय केवल विद्या प्रदान करना नहीं है बल्कि चरित्र-निर्माण तथा शारीरिक विकास का भी बहुत महत्व है। इसलिये मैं समझती हूं कि ब्रिटेन के नमूने पर यहां पर सम्मिलित खेल-कूद के मैदानों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे विद्यार्थियों में सहयोग की भावना उत्पन्न हो।

इस देश में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने का प्रयत्न कर ही है। बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए मैं सुझाव दूंगी कि अध्यापकों के वर्ग तथा स्तर के अनुसार उनको मुफ्त आवास व अन्य सुविधायें प्रदान करनी चाहियें विशेषकर गांवों में। कृषि-विस्तार के महत्व को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्कूलों में, जहां किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, कृषि को पाठ्य-विषय बना देना चाहिये ताकि उनको कृषि के आधुनिकतम तरीकों व मशीनों का ज्ञान हो सकें। मेरे विचार में हमारे बनावटी कृषि-कालेजों में विद्यार्थियों को देश में विद्यमान वास्तविक परस्थिति में व्यवहारिक कार्य करने का कोई अवसर नहीं मिलता। मुझे विश्वास है कि अधिकतर विद्यार्थियों को यह भी पता नहीं होता कि आलू कैसे बोते हैं। देश को आज कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है जिसको पूरा करने के लिये बहु-प्रयोजनीय स्कूलों व पालीटेकनिक कालेजों के स्तर को सुधारना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, कालेजों और तकनीकी संस्थाओं के लिये वैज्ञानिक उपकरणों व सामान के मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा प्रदान करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में माडल स्कूल होने चाहिएं जहां अध्यापकों, सामान, इमारत, खेल के मैदान आदि के बारे में सर्वोत्तम सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। इनमें केवल होनहार छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिये। इससे अवश्य ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी। यह प्रसन्नता कि बात है कि सरकार ऐसे स्कूल आरम्भ करने पर विचार कर रही है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये छात्रों की रुचि, योग्यता आदि पर ध्यान देना चाहिये। देशों के एकीकरण के लिये विभिन्न राज्यों के बीच विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों का आदान-प्रदान होना चाहिये। हमारे विश्वविद्यालय बहुत समय से राष्ट्रीय भावना की लहर से अछूते रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिये ठोस कदम उठाने चाहियें। विश्वविद्यालयों में राजनीति के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये और उनको स्वायतता प्रदान की जानी चाहिये। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के बारे में बहुत चर्चा हुई है। जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध ऐसा करने पर विचार करना चाहिये, जिससे राज्य सरकारें इन संस्थाओं के विकास की प्रगति के मार्ग में बाधा न डाल सके।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता देश में पारिवारिक, सामाजिक व राजनैतिक जीवन में फैली अनुशासनहीनता का ही अंग है। इसलिये हमें देश के युवकों में सहन करने तथा दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझने की योग्यता उत्पन्न करने का काम उप-कुलपतियों, प्राध्यापकों, अध्यापकों आदि पर ही छोड़ देना चाहिये। यदि न केवल हमारे यहां बल्कि राष्ट्रों के बीच भी शान्ति बनाये रखने के लिये आज साम्प्रदायिकता तथा जातीयता से अछूते स्पष्ट, निष्पक्ष और निष्कपट विचारों की आवश्यकता है। गैर-सरकारी संग्रहालयों को सीधे केन्द्रीय

शिक्षा मंत्रालय से [illegible] करने का अधिकार होना चाहिये। भाषा-प्रश्न से उत्पन्न होने के संकट से पता चलता है कि संकीर्ण विचार किस तरह हमारे देश की एकता को भंग कर सकते हैं। हमें साम्प्रदायिकता का दृढ़ता से सामना करना चाहिये। यदि हम घरेलू मामलों पर इस तरह बंटे रहे तो शिक्षा का ऊंचे से ऊंचे स्तर भी इस देश को नहीं बचा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे अध्यापकों के बारे में ठोस नीति की घोषणा करें। आज सुबह उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि यह प्रमुख रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। मैं उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हूं और वहां के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ने यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है कि वे अध्यापकों की आवश्यकता पूर्ति में असमर्थ हैं क्योंकि केन्द्र 50 प्रतिशत अनुदान योजना के लिये नियत राशि में से देता है तथा जब तक इससे अलग कुछ और राशि नहीं दी जाती अध्यापकों की दशा में सुधार नहीं किया जा सकता। उनके राष्ट्र-निर्माता होने की आशा की जाती है लेकिन राष्ट्र-निर्माता से सड़क के किनारे सोकर मीठे मीठे स्वप्न देखने की आशा नहीं की जा सकती। हमारे प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने भी आवश्वासन दिया है कि अध्यापकों की दशा सुधारने के लिये केन्द्र भरसक प्रयत्न करेगा। इसलिये मैं तो केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि यह काम यथाशीघ्र किया जाये। अध्यापकों ने अपना आन्दोलन वापिस ले लिया है और मामला ठंडा पड़ गया है। लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि यह तूफान से पहले की शान्ति है।. अध्यापक पुनः जीवन-निर्वाह योग्य वेतन की मांग करेंगे।

दूसरी बात मैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के सम्बन्ध में कहूंगा। 1962 में उस समय वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री श्री हुमायूं कबिर ने कुछ सत्यनिष्ठ आश्वासन दिये थे। ये आश्वासन क्या थे? वेतन आयोग ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया और उन्हें उसके सामने अपनी बात कहने का अवसर इस आधार पर नहीं दिया गया कि उनके एकमात्र कार्मिक संघ को, जो 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, मान्यता प्राप्त नहीं थी। हम गला फाड़कर चिल्लाते रहे। गृह-मंत्री पन्त ने भी आश्वासन दिये लेकिन किया कुछ भी नहीं गया। अब भी इस कार्मिक संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

1962 में मेरे ध्यान आकर्षित करने पर माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे अगले बजट सत्र तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा असमानता को दूर करने की स्थिति में होंगे व भारत सरकार के, अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा इस विभाग में कर्मचारी अलाभकर स्थिति में नहीं रहेंगे। अब 1965 आ गया है और मैं पुनः यह सब कह रहा हूं। और कुछ नहीं तो अपने पूर्वाधिकारी द्वारा दिये आश्वासनों के मान के लिये ही कुछ करें। सितम्बर, 1964 में देहरादून स्थित इस विभाग के कार्यालय के दौरे के अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा था कि वेतन-क्रमों के पुनिरीक्षण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। सक्रिय विचार का अर्थ अब यह हो गया है कि कोई विचार नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निर्णय किया गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग आदि कार्यालयों में एक समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन-क्रम भारतीय सर्वेक्षन विभाग के कर्मचारियों से अधिक अच्छे हैं।

[श्री स० मो० बनर्जी]

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में भी अनेक संस्थानों में दफ्तरियों और जमादारों को मिलने वाला वेतन-क्रम 85--110 उन पर लागू नहीं किया गया है। यही स्थिति तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की है। इस विभाग के वर्कशाप और परिवहन कर्मचारी अपने वेतन-क्रम की अधिकतम सीमा पर हैं और सारी सेवा के अन्त तक उसी पर पड़े रहेंगे। भारत सरकार के अन्य विभागों के वर्कशाप तथा एम० टी० कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन-क्रम 110--180 तथा 130--212 इनको नहीं दिए गए हैं। 'प्लेट कापर', 'नेगेटिव कापर', 'रिकार्ड कीपर', तकनीकी क्लर्क आदि अनेक तृतीय श्रेणी के वर्ग हैं जिनके भाग्य में 180 रुपये से अधिक वेतन नहीं बढ़ा है। 'टोपो' प्रशिक्षणार्थी 'टाइप बी' के लिये सब कुछ मिलाकर एक वेतन देने की प्रणाली समाप्त करनी चाहिये।

इस विभाग में 80 प्रतिशत अनियमित तथा आवश्यकता पड़ने पर रखे जाने वाले कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी चीन द्वारा आक्रमण के समय में अपने जीवन को संकट में डालकर बामडिला और नेफा में सर्वेक्षण के काम में लगे हुए थे जबकि हमारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई थी। इनके मामले पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त होनी चाहिये और इस प्रथा को समाप्त करना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने कभी हड़ताल नहीं की है और जब भी कोई आन्दोलन किया है तो केवल आत्म-रक्षा के लिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे बहस का उत्तर देते समय इन सब बातों पर प्रकाश डालें।

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	1	श्री यशपाल सिंह .	वर्तमान महंगाई के कारण संघ राज्य-क्षेत्रों के अध्यापकों के वेतन न बढ़ाना।	100
15	2	श्री यशपाल सिंह .	प्रशिक्षित छात्रों में बेरोजगारी रोकने की आवश्यकता।	100
15	3	श्री यशपाल सिंह .	दक्षिण और पूर्व में हिन्दी के प्रचार के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	100
15	4	श्री यशपाल सिंह	हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अधिक रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
15	5	श्री यशपाल सिंह	आचरण का ह्रास और नैतिक पत्तन रोकने के लिये शिक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100
15	6	श्री यशपाल सिंह	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता।	100
15	7	श्री यशपाल सिंह	डा० सम्पूर्णानन्द और डा० श्री प्रकास समितियों की सिफारिशें	100
16	25	डा० मा० श्री० अणे	संस्कृत शिक्षा के पुनरुत्थान के लिये पुराने ढंग की पाठशालाओं के विद्वान पंडितों को अधिक वेतन देने की आवश्यकता।	100
16	26	डा० मा० श्री अणे	व्यायाम शिक्षा, खेलकुद और युवक कल्याण को आगे बड़ाने की आवश्यकता।	100
16	27	[illegible] मा० श्री० अणे	नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के लिये अपर्याप्त धन।	100
16	28	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	शिक्षा के सामान्य स्तर में ह्रास को रोकने की आवश्यकता।	100
16	29	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	प्रगतिशील समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पद्धति का निर्माण न करना।	100
16	30	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	संघ-राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों की सेवा-शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता।	100
16	31	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा न देना	100
16	32	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी हुई जातियों में शिक्षा का प्रसार करने में असफलता	100 100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
17	37	श्री नरेंद्र सिंह महीडा	गुजरात के पुरातत्वीय रत्न, मोढ़ेरा—-—"सूर्य मन्दिर" और सिद्धपुर "रुद्र महाल" के पुनरुद्धार की आवश्यकता ।	100
15	38	श्री कोया	और अधिक शिल्पिक संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता ।	100
15	39	श्री कोया	नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100
15	40	श्री कोया ..	संस्कृत, अरबी, उर्दू और फारसी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था ;	100
15	41	श्री कोया ..	अरबी और फारसी के उच्चतर अध्ययन के लिए धन देने की आवश्यकता ।	100
15	42	श्री कोया	केरल में समुद्री मछुओं के बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता ।	100
	51	श्री यशपाल सिंह .	बच्चों की पुस्तकों और नवसाक्षरों की पुस्तकों से सम्बन्धित पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए परीक्षकों की तालिका की नियुक्ति का आधार ।	100
	52	श्री यशपाल सिंह ..	हिन्दी के विभिन्न पुरस्कारों के लिए चुनी गयी हिन्दी पुस्तकों में अंग्रेजी में किये गये अनावश्यक परिवर्तन ।	100
	53	श्री यशपाल सिंह .	जिन विभिन्न पुस्तकों पर पुरस्कार दिये गये हैं, उनके सस्ते संस्करण निकालने की आवश्यकता ।	100
	54	श्री यशपाल सिंह .	किशोरों के लिए साहित्य के उचित विकास की आवश्यकता ।	100
	55	श्री यशपाल सिंह ..	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बच्चो को हिन्दी पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती राशि
				रुपये
15	57	श्री वासुदेवन नायर	6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कम किये गये लक्ष्यों को भी कार्यान्वित न करना ।	100
15	58	श्री वासुदेवन नायर .	लड़कियों और लड़कों की शिक्षा के बीच का अन्तर पूरा करने के लिए लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता न देना ।	100
15	59	श्री वासुदेवन नायर .	सम्पूर्ण भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यापकों और प्राध्यापकों के लिए एक राष्ट्रीय उचित वेतन-क्रम के कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता ।	
15	60	श्री वासुदेवन नायर .	गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन संस्थाओं में अवैध और हानिकारक प्रथाओं को रोकने की आवश्यकता ।	100
15	61	श्री वासु देवन नायर.	विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं में अध्यापन आरम्भ करने करने की आवश्यकता ।	100
15	62	श्री वासुदेवन नायर .	प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालयों के शिक्षाक्रमों के अध्यापन के लिये पर्याप्त और संतोषजनक पुस्तकें देने की आवश्यकता ।	100
15	63	श्री वासुदेवन नायर .	केन्द्र प्रशासित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और प्राध्यापकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता ।	100
15	64	श्री वासुदेवन नायर ..	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के एकक, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय का कामकाज ।	100
15	65	श्री वासुदेवन नायर .	सम्पूर्ण काल में हायर सेकेण्डरी और स्कूल फाइनल की परीक्षाओं के तुलनात्मक परिणाम और अनुत्तीर्ण छात्रों की अत्याधिक संख्या ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
15	66	श्री वासुदेवन नायर .	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में प्रचलित पदोन्नति के तरीके तथा वैज्ञानिक संस्थाओं में अन्य निर्बन्धक और निराशाजनक प्रथाएं ।	100
15	67	श्री वासुदेवन नायर .	विदेशों में विशेषकर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और अन्य समाजवादी राज्यों में, अध्ययन के लिए अनुमति और छात्रवृत्तियां देने के तरीके ।	100
15	68	श्री वासुदेवन नायर .	हमारे बड़े-बड़े कवियों, लेखकों और और साहित्यिकों की मूल पांडुलिपियां और दुर्लभ प्रलेख प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त कार्य ।	100
15	69	श्री वासुदेवन नायर .	विभिन्न उच्चतर प्रौद्योगिककीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली ।	100
15	70	श्री वासुदेवन नायर .	ग्रामीण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की कार्यप्रणाली ।	100
15	71	श्री वासुदेवन नायर .	विश्वभारतीय विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली ।	100
15	72	श्री वासुदेवन नायर .	माध्यमिक शिक्षा पद्धति का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता ।	100
15	73	श्री वासुदेवन नायर	खर्चीली पब्लिक स्कूल शिक्षा समाप्त करने और सभी के लिए शिक्षा के सामान्यस्तर में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
15	74	श्री वासुदेवन नायर .	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेण्डरी स्कूलों की लड़कियों के लिए होस्टल फीस के लिए राज सहायता देने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
15	75	श्री वासुदेवन नायर	शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	100
15	76	श्री वासुदेवन नायर .	केन्द्रीय सरकार के बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए खर्च करने की आवश्यकता ।	100
15	77	श्री वासुदेवन नायर .	30 वर्ष से अधिक उम्र वाले अध्यापकों को दिल्ली के गैर-सरकारी स्कूलों में काम करने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	100
15	79	डा० मा० श्री० अणे	अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अनिश्चित और अनुल्लिखित अवधि तक कायम रखना ।	100 घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय ।
15	80	श्री स० मो० बनर्जी	यूनियन ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100
15	81	श्री स० मो० बनर्जी .	सर्वे ऑफ इंडिया के नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित बनाने की आवश्यकता ।	100
15	82	श्री स० मो० बनर्जी .	सर्वे ऑफ इंडिया में एकीकृत वेतन देने की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
15	83	श्री स० मो० बनर्जी	अध्यापकों की उपलब्धियों में वृद्धि न करना ।	100
15	84	श्री स० मो० बनर्जी .	सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री द्वारा 1962 में दिये गये आश्वासन को पूरा न करना ।	100
15	85	श्री स० मो० बनर्जी .	सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के वेतन क्रमों में असमानता दूर करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	92	डा० मा० श्री अणे	अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के छात्रों के लिए हिन्दी की पढ़ाई के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
16	93	डा० मा० श्री० अणे .	मानवशास्त्र में अनुसन्धान छात्रवृत्तियों के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
16	94	डा० मा० श्री अणु	श्रीलंका सम्पदा कर्मचारी शिक्षा प्रन्यास के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
16	95	डा० मा० श्री अणे .	संस्कृत शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए छात्रवृत्तियों के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
16	96	डा० मा० श्री अणे .	वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावलि के स्थायी आयोग के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
16	97	डा० मा० श्री अणे .	प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए नियत अपर्याप्त धन ।	घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव अब सभा के सामने हैं। अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा होगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

कम्बोडिया और लाओस पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक क्तव्य दें :—

"कम्बोडिया और लाओस के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन किये जाने के प्रस्तावों के समाचार तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कई अवसरों पर मैं वियतनाम में होने वाली घटनाओं के बारे में सदन को सूचित करता रहा हूं। वियतनाम में स्थिति बिगड़ती जा रही है और वहां लड़ाई खत्म होती नहीं दिखाई देती है। जैसा कि सदन को मालूम है, भारत सरकार और गुटों से अलग 16 अन्य देशों की सरकारों ने मिलकर हाल ही में सम्बद्ध पक्षों से अपील की थी। इस अपील की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुई है लेकिन हम यह आशा करते हैं कि सभी सम्बद्ध देश अपील के अनुकूल आचरण करेंगे जोकि गुटों से अलग बहुत-से देशों ने अच्छी भावना से और लड़ाई को खत्म करने तथा इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की है ।

2. हालांकि हम वियतनाम की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत विचार करते रहे हैं, तो भी कम्बोडिया तथा लाओस की समस्याओं पर, हमने निरन्तर ध्यान दिया है। जैसा कि सदन को मालूम है, भारत सरकार ने हमेशा कम्बोडिया सरकार के उन प्रस्तावों का समर्थन किया है जिनमें एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की बात कही गई है जो इसका अध्ययन करेगा कि कम्बोडिया की तटस्थता और प्रादेशिक अखंड़ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाय। कम्बोडिया के विदेश मंत्री ने पिछली 15 मार्च को अपने सन्देश में जेनेवा सम्मेलन के दोनों सह-अध्यक्षों से फिर कहा था कि वे इस प्रकार का सम्मेलन तत्काल आयोजित करें। ऐसा पता चला हैं कि सह-अध्यक्ष इस सम्बन्ध में एक-दूसरे के साथ सलाह-मशविरा कर रहे हैं। हम चाहते हैं और आशा भी करते हैं कि संबद्ध पक्षों का सम्पेलन तत्काल आयोजित करना सम्भव हो सकगा । भारत को कम्बोडिया की आकांक्षाओं से पूरी सहानुभूति है और भारत सरकार इस सम्बध में अपना कर्त्तव्य निभाएगी और हरेक सहायता देगी।

लाओस पर 1962 के करार का मुख्य उद्देश्य शांति की पुर्नस्थापना करना है और लाओस में सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तीनों लाओसी गुटों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि लाओसी गुटों के बीच समझौता नहीं हुआ है और स्थिति बराबर बिगड़ी हुई है। बहरहाल, हमने सुना है कि सम्बद्ध पक्षों के बीच फिर से सम्पर्क स्थापित हो गए है और शीघ्र ही लाओस में त्रिपक्षीय बातचीत शुरु होनवाली है । भारत सरकार ने विगत समय में लाओस पर 14 राष्ट्रों के जेनेवा सम्मेलन को फिर से आयोजित करने के प्रस्तावों का समर्थन किया है और वह यह आशा

करती है कि अब जो बातचीत शुरू हो रही है, उससे इस प्रकार के सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत: उस बात को देखते हुए कि भारत की जनता और सरकार दक्षिण-पूर्व एशिया के इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में चिरस्थाई शांति स्थापित करने की इच्छुक है, क्या सरकार यह निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में है कि कितने देशों ने इन आने वाले सम्मेलनों में भाग लेने की इच्छा प्रकट की हैं और इन सम्मेलनों में वियतनाम में शांति वार्ता आरम्भ करने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह: जिन देशों की इस सम्मेलन में भाग लेने की आशा है, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में मैं कोई सूचना नहीं दे सकता क्योंकि यह हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परंतु कम्बोडिया सम्मेलनों के बारे में प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस सम्मेलन को इसी कार्य के लिये रहने दिया जाय क्योंकि यदि इस सम्मेलन का किसी समय अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग किया गया तो कम्बोडिया के लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे।

श्री रवीन्द्रवर्मा (तिरूवल्ला) : क्या यह सच है कि रूस की सरकार ने भारत सरकार जो कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर इस सम्मेलन में विचार किया जायगा ? यदि हां, तो सरकार का इन प्रस्तावों के प्रति क्या रवैया है ?

श्री स्वर्ण सिंह: रूस सरकार ने सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया है। परन्तु उसने ऐसे कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिये हैं जिन पर सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या सरकार के ध्यान में यह भी आया हैं कि इस क्षेत्र के लिये मूल प्रश्न सेनाओं को अलग अलग हटाना हैं। यदि हां, तो जब फ्रांस के प्रधान मंत्री यहां आये थे तो उन से इस विषय पर चर्चा की गई थी और क्या उनको आशा है कि चीन भी इस सम्मेलन में भाग लेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह: यह सच है कि इस क्षेत्र से सेनाओं का हटाया जाना अथवा इस क्षेत्र की तटस्थता बहुत महत्वपूर्ण है और सम्बद्ध देश भी हमें बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कि हिन्द-चीनी के देशों को बाहर के प्रभाव से मुक्त कर अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने दिया जाय। यह सच हैं कि फ्रांस के प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री जब यहां ये तो उनसे इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस सम्बन्ध में फ्रांस और भारत को विचार एक समान है। उनका यह विश्वास है कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं जिससे हिन्द-चीनी की तटस्थता और अखण्डता बनी रहे। इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता हैं कि इस विषय में चीन का क्या रवैया होगा।

Shri Raghunath Singh : (Varanasi) : This campaign is gaining currency in the U.K. press that the problem of Vietnam should also be considered in this conference. I want to know the opinion of the Government about it.

श्री स्वर्ण सिंह: श्री कामत के प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने इसका भी उत्तर दे दिया था।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाडा) : कौन से तटस्थ राष्ट्र इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री प० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : इस बात को देखते हुए कि कम्बोडिया और लाओस में शक्तिशाली देशों के बीच फंसे हुए हैं, एक देश चीन की तरह समाजवाद का प्रचार कर रहा है और दूसरा देश अमरीका की तरह नव उपनिदेशवाद का प्रचार कर रहा हैं ।, यह सरकार इस मामले को सुलझाने में कहां तक सफल होगी और इन देशों को अपनी अखण्डता और प्रभुसत्ता बनाये रखने में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन देशों को अपना भविष्य अपने राष्ट्रीय विचारों के अनुसार निर्माण करने की इच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह सम्बद्ध देश ही निर्णय करेंगे कि उन देशों में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिये ।

पहली मई को सभा की बैठक के बारे में

RE: SITTING OF THE HOUSE ON FIRST MAY, 1965.

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में यह अभिवेदन किया गया था कि पहली मई को सभा की बैठक नहीं होनी चाहिये। मैंने इस पर विचार किया है । मैं इससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि अब कोई ऐसा शनिवार नहीं जिसमें कोई बैठक हो सके ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सिवाय आने वाले शनिवार के ।

अध्यक्ष महोदय : इस शनिवार को प्रालकलन समिति के सभापतियों की बैठक हो रही है । यह बहुत पहले ही निश्चित की जा चुकी थी । अतः इस शनिवार को बैठक नहीं हो सकती ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या सभा की बैठक समय से पूर्व नहीं उठ सकती जिससे यह सम्मेलन हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रयत्न किया जायेगा । परन्तु पहली मई को बैठक होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बीरवार 22 अप्रैल, 1965/ वैशाख 2, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourend till Eleven of the Clock on Thursday the 22nd April, 1965/Vaishakha 2, 1887 (Saka)

GMGIPND—LSIII—697 (Ai) LS—23-7-65—600.